www.haryanaassembly.gov.in

द्वितीय अंक, कार्तिक विक्रमी संवत 2077, नवंबर 2020, ₹40

# सदन संदेश

हरियाणा विधान सभा की मासिक पत्रिका

विधान सभा परिसर में सदन के प्रवेश द्वार पर स्थापित श्रीकृष्ण-अर्जुन रथ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥

श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात् नेतृत्व कर्ता जैसा आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह श्रेष्ठ मनुष्य जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव-समुदाय उसी का अनुसरण करता है। इसलिए नेताओं को समाज के सम्मुख अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। -श्रीमद् भगवद् गीता :3/21

❝

जनता बड़ी उम्मीदों के साथ जनप्रतिनिधि चुनती है। इसलिए उनका दायित्व बनता है कि वे जनहित के विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथ्यों के आधार पर जमीनी हकीकत के साथ अपनी बात रखें। महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा की अपेक्षा रहती है।

**- श्री ज्ञान चंद गुप्ता**

मान्नीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

❞

# प्राक्कथन

**श्री ज्ञान चंद गुप्ता**
माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा

## उत्सवधर्मी संस्कृति का विकास पथ

इस बार के त्योहारी सीजन पर कोरोना का प्रभाव हम सभी महसूस कर रहे हैं। पूरा जनमानस इससे प्रभावित हुआ है। इस कारण से लोगों के खरीदारी का दृष्टिकोण बदल गया है, एक-दूसरे की खुशियों में भागीदारी के तौर तरीके बदल गए हैं। आयोजनों का स्वरूप बदलने लगा है। इन सब कारकों का हमारी जीवनशैली पर स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है। इन सबके बावजूद भारत के लोगों की विशेषताओं का प्रकटीकरण भी हो रहा है। इस त्योहारी सीजन में यहां के समाज की सबसे बड़ी जिस विशेषता को हम सभी ने देखा है, वह है इसकी उत्सवधर्मिता। यह उत्सवधर्मिता हमारे समाज की सांस्कृतिक पहचान है। हमारे लोकजीवन में व्याप्त सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है।

दीपावली का पर्व हम सभी ने मनाया। लक्ष्मी पूजन के माध्यम से हमने समाज की सुख-समृद्धि की कामना की है। यह पर्व विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का परिचायक है। इसके साथ ही यह हम सभी को साथ लेकर चलने तथा खुशी को सभी के साथ बांटने का संदेश देता है। यही हमारी भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा है। यह भारतीय संस्कृति ही जो स्व से ऊपर समाज, राष्ट्र और मानवता को स्थान देती है।

कोविड और उत्सवी माहौल में हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र संपन्न हुआ है। इस सत्र की शुरुआत ही तब हुई थी जब देश-दुनिया में कोविड महामारी का प्रभाव चरम पर था। इस कारण से यह सत्र 2 चरणों में करना पड़ा। यह मानसून सत्र हमारे माननीय विधायकों की प्रभावी भूमिका के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों और जनहित से जुड़े विषयों को मुखरता से उठाया। जिस ढंग से उन्होंने सदन की कार्यवाही को प्रभावी बनाया, उससे न सिर्फ महान सदन की गरिमा बढ़ी है, अपितु विधायकों का प्रभाव भी बढ़ा है।

कोविड महामारी के प्रभाव के कारण हरियाणा विधान सभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जनता किसी सत्र को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकी। ऐसे में मीडिया की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। मैं मीडिया संस्थानों का दिल की गहराइयों से आभारी हूं, जिन्होंने इस सत्र की कार्यवाही का एक-एक अंश जनता तक बिना किसी पूर्वाग्रह के पहुंचाया। इलेक्ट्रोनिक मीडिया ने इसका सीधा प्रसारण किया तो प्रिंट मीडिया संस्थानों ने अपने समाचार पत्रों और वेब पॉर्टलों के माध्यम से सदन की कार्यवाही पर न सिर्फ अधिक से अधिक खबरों को स्थान दिया अपितु प्रभावी टिप्पणियां कर लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।

अब हमें कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करना है। हमारे पर्व इसके लिए उम्मीद भी जगाते हैं। हम पर्वों के उत्सवी वातावरण में अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूल सकते, अपितु इसे अवसर के तौर पर प्रयोग करते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बना सकते हैं। चूंकि हमारे माननीय विधायकगण स्थानीय स्तर पर समाज का नेतृत्व करते हैं। इसलिए वे जनता के अच्छे मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे समाज को कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भी प्रेरित करें। गत दिनों हरियाणा के अनेक जिले में प्रदूषण की काली छाया भी देखने को मिली। लोगों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर ऐसा कुछ न करें जिससे किसी का जीवन खतरे में पड़ जाए। मुझे विश्वास है कि हम सभी सावधानियों का पालन करते हुए पूरे मनोयोग से कर्मपथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। इसी विश्वास और पर्वों की शुभकामनाओं के साथ -

आपका अपना

# सदन संदेश

हरियाणा विधान सभा की मासिक पत्रिका


**संरक्षक एवं मार्गदर्शक**

श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी
(माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा)

**प्रकाशक**

श्री राजेन्द्र कुमार नांदल जी
सचिव, हरियाणा विधान सभा सचिवालय

**प्रधान संपादक**

दिनेश कुमार
मीडिया एवं संचार अधिकारी, हरियाणा विधान सभा

**सहयोगी**

तेजपाल राठी
जन-संपर्क अधिकारी, हरियाणा विधान सभा

अंकित वत्स
अनुसन्धान अधिकारी, हरियाणा विधान सभा

नवीन भारद्वाज
अनुसन्धान अधिकारी, हरियाणा विधान सभा



**सपर्क :-**

सदन संदेश
हरियाणा विधान सभा सचिवालय
सेक्टर 1, चण्डीगढ़, 160001

☎ 0172-2740030
✉ itcellvs@hry.nic.in


**नवम्बर** कार्तिक-कार्तिक

| सोम | मंगल | बुध | वीर | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 कार्तिक पूर्णिमा | | | | | | 1 कार्तिक.कृ.प्रतिपदा |
| 2 कृ.द्वितीया | 3 कृ.तृतीया | 4 कृ.चतुर्थी | 5 कृ.पंचमी | 6 कृ.षष्ठी | 7 कृ.षष्ठी | 8 कृ.सप्तमी/अष्टमी |
| 9 कृ.नवमी | 10 कृ.दशमी | 11 कृ.एकादशी | 12 कृ.द्वादशी | 13 कृ.त्रयोदशी | 14 कृ.चतुर्दशी | 15 कार्तिक अमावस्या |
| 16 शु.प्रतिपदा/द्वितीया | 17 शु.तृतीया | 18 शु.चतुर्थी | 19 शु.पंचमी | 20 शु.षष्ठी | 21 शु.सप्तमी | 22 शु.अष्टमी |
| 23 शु.नवमी | 24 शु.दशमी | 25 शु.एकादशी | 26 शु.द्वादशी | 27 शु.द्वादशी | 28 शु.त्रयोदशी | 29 शु.चतुर्दशी |

| | | |
|---|---|---|
| रविवार | 1 नवम्बर | हरियाणा दिवस |
| शनिवार | 14 नवम्बर | दीपावली |
| सोमवार | 30 नवम्बर | गुरु नानक देव जयन्ती |



## इस अंक में

प्रश्नकाल • विकास कार्यों को समर्पित रहा मानसून सत्र 14

प्राक्कथन • उत्सवधर्मी संस्कृति का विकास पथ 3

संदेश • राज्यपाल व विधानसभा सचिव की शुभकामनाएं 5-6

संपादकीय • विकट परिस्थितियों में विशिष्ट सत्र 7

लोकार्पण • विधान सभा में इतिहास और वर्तमान का संगम 8

ऑनलाइन प्रशिक्षण • नीति निर्माण में बढ़ेगी विधायकों की भागीदारी 20

विधान विमर्श • पहली विधानसभा में दिए गए भाषणों के अंश 17

किसान आंदोलन • धरती पुत्र और सियासी प्रदर्शन 18

साक्षात्कार • कर्मण्यता की मिसाल है विस अध्यक्ष का जीवन 22

मानसून सत्र • सदन में पारित विधेयकों की विषयवस्तु 26-33

संविधान संकल्पना • भारतीय विधान परिषद में पं. नेहरू का भाषण 34

प्राचीन साहित्य • पितामह से पढ़ाया युधिष्ठिर को राजधर्म का पाठ 36

आधुनिक दृष्टिकोण • अटल मनोवैज्ञानिक इकाई है राष्ट्र 38

# संदेश

## राज्यपाल
हरियाणा

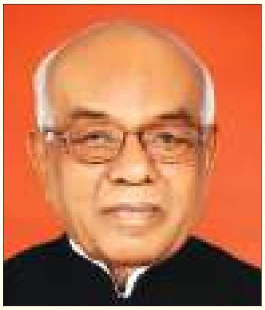

### प्रशासन के लिए लाभदायक है यह पत्रिका

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने और जनप्रतिनिधियों को अपनी गतिविधियों से अवगत करवाने के उद्देश्य से 'सदन संदेश' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू करने जा रहा है।

हरियाणा विधानसभा के इस मासिक प्रकाशन में विधानसभा की गतिविधयों के साथ-साथ सार्वजनिक व सार्वभौमिक महत्व के विषयों पर तथ्यपरक सामग्री उपलब्ध होने से जनप्रतिनिधियों को विधानसभा से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिलगी। साथ ही साथ यह सामान्य प्रशासन के लिए लाभदायक होगी।

इस मासिक पत्रिका में सदन के नियम व परंपराओं पर आधारित लेख प्रकाशित होंगे। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि विधानसभा सदस्य और विधानसभा सचिवालय के अधिकारी व कर्मचारी लेखन के प्रति प्रेरित होंगे। मुझे आशा है कि हरियाणा विधानसभा सचिवालय द्वारा किया गया मासिक पत्रिका के प्रकाशन का यह प्रयास जनप्रतिनिधियों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में एक सार्थक कदम होगा।

मैं 'सदन संदेश' नामक मासिक पत्रिका के प्रकाशन पर हरियाणा विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान करता हूं।

सत्यदेव नारायण आर्य

त्याग से यश मिलता है, धोखाधड़ी से नहीं।
**- प्रेमचंद**

# सचिव

## हरियाणा विधान सभा

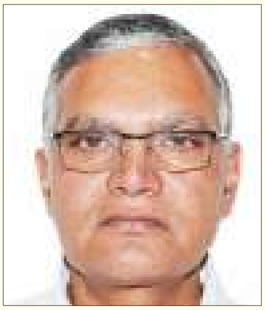

❝

**ढ़ाई करोड़ लोगों की मेहनत से विकास पथ पर दौड़ता गौरवशाली प्रदेश**

❞

हरियाणा विधान सभा का 54 वर्ष का गौरवशाली इतिहास रहा है। यह सदन जहां प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करता हुआ उनके विकास की कहानी गढ़ रहा है, वहीं जनप्रतिनिधियों के लिए अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भी बना है। यहां वे प्रदेश के हितों की आवाज उठाते हैं तथा सरकार से सवाल भी करते हैं। हरियाणा के ऐसे यशस्वी कर्मयोगियों ने लोकतंत्र के इस मंदिर की गरिमा को बढ़ाया है।

इसी प्रकार हरियाणा विधान सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का निवर्हन करते हुए विशिष्ट पहचान बनाई है। इस सचिवालय की ओर से 'सदन संदेश' नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया है। यह पत्रिका जहां जनप्रतिनिधियों और सचिवालय स्टाफ के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी, वहीं इसमें सचिवालय की गतिविधियों का भी प्रकाशन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे यशस्वी विधायक और विधान सभा सचिवालय के कर्मठ कर्मचारी लेखन के लिए प्रेरित होंगे।

इसके साथ ही मैं सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से आह्वान करता हूं कि पूरे देश-दुनिया में हरियाणा की पहचान उनकी देशभक्ति और कर्तव्यपरायणता से है। भारतीय सेनाओं में योगदान की बात हो या खेल जगत की, सब तरफ हरियाणा की उपलब्धियों की चर्चा हैं। कृषि की प्रधानता वाले इस प्रदेश ने औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह सब इस प्रदेश के ढाई करोड़ लोगों की कड़ी परिश्रम और प्रतिभा से संभव हो सका है। हरियाणा विधान सभा के कर्मचारियों को भी अपने प्रदेश की पहचान के अनुरूप कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हरियाणा की धरती से गीता के माध्यम से पूरे विश्व ने कर्तव्य परायणता का संदेश लिया है। इसलिए कर्तव्यपरायणता के प्रति हमारी जिम्मेदारी अधिक बन जाती है।

विधान सभा सचिवालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी हरियाणा प्रदेश की प्रतिष्ठा के अनुरूप अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह सजग रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करते हैं। मैं अपने पूरे स्टाफ के उज्ज्वल भविष्य तथा सुखद जीवन की कामना करता हूं। इसके साथ ही विधान सभा की मासिक पत्रिका 'सदन संदेश' की पूरी टीम को भी बधाई, जिन्होंने यह सराहनीय कार्य शुरू किया। मैं 'सदन संदेश' के निरंतर सफल प्रकाशन की कामना करता हूं।

-राजेंद्र कुमार नांदल

जैसे एक छोटे दीपक की रोशनी बहुत दूर तक फैलती है, उसी प्रकार संसार में भलाई बहुत दूर तक चमकती है।- शेक्सपियर

# विकट परिस्थितियों में विशिष्ट सत्र

**दिनेश कुमार**
मीडिया एवं संचार अधिकारी
हरियाणा विधान सभा


हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र कई मामलों में विशिष्ट रहा। कोविड काल जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों में इस सत्र का आयोजन किया गया। कोविड को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, ऐसे में डर और आशंकाओं के बादल मंडराने स्वाभाविक थे। प्रत्येक मीडिया माध्यम से भीड़-भाड़ से बचने और तमाम प्रकार की सावधानी बरतने के संदेशों का प्रवाह जारी है। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौत के समाचार भी मीडिया सुर्खियों के स्थायी अंग से बन गए हैं। ऐसे वातावरण में तमाम ऐहतियाती उपायों के साथ विधान सभा के सत्र का सफल आयोजन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। इसके लिए विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता निश्चित तौर पर बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं।

विधान सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए स्थान सीमित है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए सत्र चलाना आसान काम नहीं था। इसके लिए माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने विशिष्ट प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित करवाईं। तमाम तरह की बंदिशों के बीच सदन में स्वस्थ एवं प्रभावी बहस करवाना सबसे बड़ी चुनौती थी। व्यवस्थाओं के साथ-साथ संसदीय कामकाज की दृष्टि से भी यह मानसून सत्र उत्कृष्ट रहा। दो चरणों में 3 दिन तक चले इस सत्र में प्रश्नकाल के तीन कालांश रहे। इसके लिए 46 माननीय विधायकों ने 414 तारांकित और 105 अतारांकित प्रश्नों के लिए नोटिस भेजे थे। इनमें से 292 तारांकित और 90 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए। ड्रा प्रणाली से 60 तारांकित और 87 अतारांकित प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा बने। प्रत्येक प्रश्न हमारे विधायकों की जनता के प्रति सरोकारों का जीता जागता प्रमाण है। इसी प्रकार 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यमों से भी जनप्रतिनिधियों ने जनहित के विषयों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

तीन दिन की इस कार्यवाही में ढाई करोड़ जनता के जनप्रतिनिधियों ने 10 विधेयकों पर मुहर लगाई। इन विधेयकों पर हुई स्वस्थ्य चर्चा हमारे विधायकों के अनुभव और विद्वता की साक्षी बनी। 'हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक-2020' हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक इकाई पंचायत व्यवस्था में मातृशक्ति को समानता का अधिकार दिलाने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस विधेयक के पास होने से पंचायती संस्थाओं में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित हो गई है। इसी प्रकार विधान सभा ने प्रदेश के युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 'हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2020' पारित किया। महान सदन ने जल संरक्षण की समस्या से निपटने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। इसके लिए 'हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियम तथा प्रबंधन) विधेयक-2020' पास किया गया। इनके अलावा 7 और जन महत्व के विधेयकों को सदन ने पास किया।

विकट परिस्थितियों में इस प्रकार के विशिष्ट सत्र का आयोजन करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। यह विधान सभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमारे जनप्रतिनिधियों के जन सरोकार और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के प्रति प्रतिबद्धता को इंगित करता है। यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है और इसी में ढाई करोड़ जनता के हित निहित है। विकास की कहानी गढ़ने का रास्ता भी यही है।

# विधान सभा में इतिहास और वर्तमान का संगम

# गीतामय हुआ वातावरण

◆ दिनेश कुमार

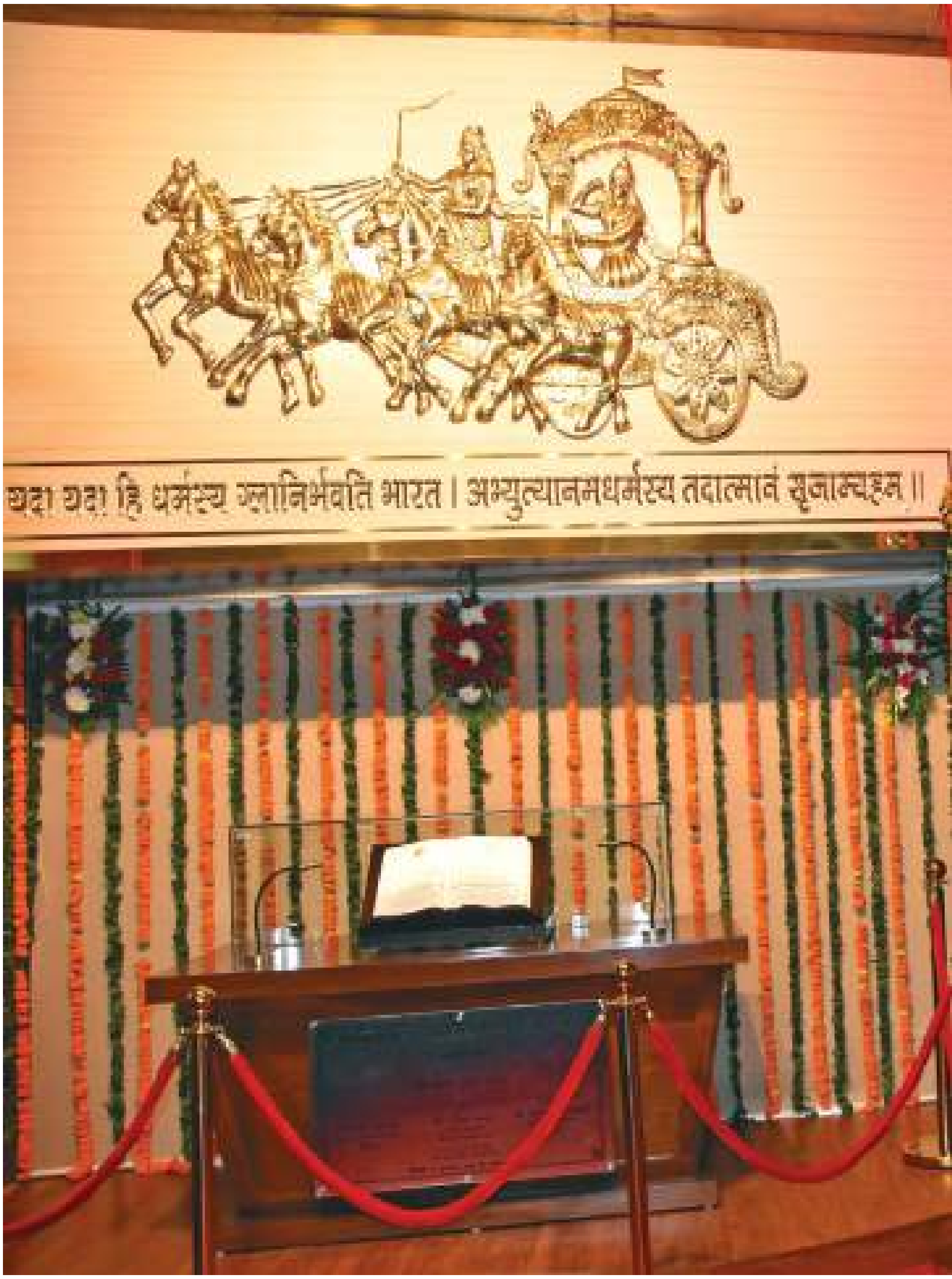


हरियाणा विधान सभा के लिए 13 अक्तूबर का दिन ऐतिहासिक रहा। इस दिन विधान सभा परिसर में इतिहास और वर्तमान का संगम दिखाई दिया। प्रदेश के इतिहास का जीवंत प्रमाण श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत स्वर गुंजित हुआ, तो विधान सभा के वर्तमान का सजीव दस्तावेज इसकी मासिक पत्रिका 'सदन संदेश' का विमोचन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। इसके साथ ही माननीयों की गरिमा को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने उनके वाहनों के लिए झंडियां भी जारी कीं। श्री मनोहर लाल ने विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल, अनेक मंत्रियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों के साथ गीता श्लोकों के उच्चारण के बीच भगवान श्रीकृष्ण-अर्जुन का रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद्गीता के चित्र का अनावरण किया। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में विधायक इस क्षण के साक्षी बने।

आज से करीब 5100 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया महाभारत का युद्ध हरियाणा की विशिष्ट पहचान है। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रमाण है। इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा पार्थ को दिया गया गीता का संदेश मानव समाज को कर्मपथ पर अग्रसर रहने के लिए प्रेरित करता है। विश्वभर में कर्म कौशल और प्रबंधन के लिए विख्यात श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाओं को हरियाणवी समाज अपना पथप्रदर्शक मानता आया है। विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही विधान सभा परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद्गीता की स्थापना के प्रयास शुरू किए थे, जो अब पूरे हो चुके हैं।

इसके साथ ही विधान सभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मासिक पत्रिका 'सदन संदेश' का प्रकाशन शुरू किया गया है। इस पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन भी 13 अक्तूबर को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया। पत्रिका में सदन के गौरवशाली अतीत की झलकियों के साथ गत दिनों शुरू हुए सुधार के प्रयासों की बानगी प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही इसमें देश की संसदीय कार्यप्रणाली को समझने के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्री को स्थान मिला है। विधायकों के लिए स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए इसमें विशेष कॉलम हैं। इसके साथ ही देश के प्राचीन साहित्य में निहित राजनीतिक दृष्टि को उजागर किया गया है तो नए भारत के महापुरुषों के दृष्टिकोण को भी जगह मिली है।

# गौरवपूर्ण संस्कृति से मिलती रहेगी प्रेरणा

भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य संदेश दिया था। इसलिए हरियाणा गीता की भूमि है। प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से लोग विधानसभा सत्र के दौरान सम्मानित सदन की कार्यवाही देखने के लिए विधानसभा गैलरी आते हैं। विधानसभा परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद गीता चित्र को देखकर वे निश्चित रूप से राज्य की गौरवपूर्ण संस्कृति से प्रेरणा लेंगे।

- श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा
(विधान सभा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए)

"

इस दिन का तीसरा प्रमुख कार्यक्रम विधायकों को उनके वाहनों के लिए झंडियां सौंपने का रहा। हरियाणा के अधिकतर विधायकों ने राजमार्गों पर होने वाली दिक्कतों को विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता के सम्मुख रखा था। विधायकों की मांग पर श्री गुप्ता ने उनके वाहनों पर विशिष्ट झंडियां लगाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधायकों को ये झंडियां सौंपी।

इससे पहले, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने विधान सभा परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद्गीता के चित्र का अनावरण करने, विधानसभा की मासिक पत्रिका 'सदन संदेश' का प्रथम संस्करण जारी करने और विधायकों के वाहनों के लिए झंडी लॉन्च करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का दिव्य संदेश दिया था और भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद्गीता के चित्र से हरियाणा विधान सभा को एक अलग पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं हमें फल की चिन्ता किए बिना सदैव अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की पत्रिका 'सदन संदेश' विधायकों को हरियाणा विधानसभा की नवीनतम गतिविधियों और इसकी विभिन्न समितियों के कामकाज के बारे में अवगत कराएगी।

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश की 14वीं विधानसभा तेजी से नए मील पत्थर स्थापित करने की राह पर बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जे.पी. दलाल, सहकारिता राज्य मंत्री डॉ. बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा तथा इनेलो के विधायक श्री अभय सिंह चौटाला समेत भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के विधायक मौजूद थे। ■

## इन नियमों के साथ लगेगी झंडी

हरियाणा विधानसभा द्वारा अधिकृत मौजूदा विधायक इस झंडी का इस्तेमाल अपने उन वाहनों पर कर सकेंगे, जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं। अगर मौजूदा विधायक के पास अपने नाम से पंजीकृत कोई वाहन नहीं है, तो झण्डी का इस्तेमाल निजी या किराए के वाहनों पर किया जा सकता है। यदि झण्डी वाले वाहन में मौजूदा विधायक नहीं है तो झण्डी को सफेद कवर से ढकना होगा। विधायकों को झंडी के लिए हरियाणा विधानसभा को आवेदन करना होगा। अधिकृत मौजूदा विधायक द्वारा झण्डी के इस्तेमाल के लिए प्राधिकार-पत्र परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा। यह प्राधिकार-पत्र हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने या मौजूदा विधायक के राज्य विधानसभा का सदस्य रहने तक वैध रहेगा।

## विधान सभा को दे रहे विशिष्ट पहचान

भगवान श्रीकृष्ण ने लगभग 5100 साल पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य संदेश दिया था और भगवान श्रीकृष्ण के रथ और पवित्र श्रीमद्भगवद गीता के चित्र से हरियाणा विधान सभा को एक अलग पहचान मिलेगी। श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएं हमें फल की चिन्ता किए बिना अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित करती हैं।

- श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधान सभा अध्यक्ष (अनावरण मौके पर)

"

### सदन संदेश के प्रथम अंक का विमोचन

हरियाणा विधान सभा के कमेटी कक्ष में 13 अक्तूबर 2020 को सदन संदेश पत्रिका के प्रथम अंक का विमोचन करते मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता। साथ हैं (बाएं से) परिवहन मंत्री श्री मूल चंद शर्मा, कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कमलेश ढाण्डा, इनेलो विधायक श्री अभय सिंह चौटाला, विधान सभा उपाध्यक्ष श्री रणबीर सिंह गंगवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल, सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल (दूसरी पंक्ति में) विधान सभा सचिव श्री राजेंद्र कुमार नांदल और पत्रिका के प्रधान संपादक श्री दिनेश कुमार।

विधान सभा सचिवालय में 6 अगस्त को विधायकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता।

# नीति निर्माण में बढ़ेगी विधायकों की भागीदारी

◆ दिनेश कुमार

> ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों से सीखे गुर, सुझाव भी साझा किए

नीति निर्माण में हरियाणा के विधायकों की भूमिका बढ़ने वाली है। विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में 6 अगस्त 2020 को विधान सभा सचिवालय में विधायकों के लिए प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के तत्वावधान में हुई इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में 10 विधायकों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 के कारण सामाजिक दूरी संबंधित नियमों के पालन के लिए सभी विधायकों को एक साथ नहीं बुलाया जा सका।

विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में हुई प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस का संचालन सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने किया। कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य पर गहन विमर्श हुआ कि गुरुग्राम ने विकास की बुलंदियों को कैसे छुआ, जबकि बड़े औद्योगिक ढांचे वाले फरीदाबाद में विकास की गति अपेक्षाकृत कम कैसे रही। गुरुग्राम की तर्ज पर हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी विकास की योजनाएं तलाशी गईं।

इस मौके पर विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि दुनिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से नीतियां भी बनानी पड़ रही हैं। जाहिर है इन सभी नीतियों का समग्रता से अध्ययन करना हर जनप्रतिनिधि के लिए संभव नहीं है। इनके निहित उद्देश्यों को समझना और फिर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, उतने ही व्यापक प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता रहती है। विधायकों का अधिकतर समय जन सामान्य के बीच गुजरता है। अनेक तरह की समस्याओं का अंबार उनके सामने होता है। उन्हें हल करने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है।

श्री गुप्ता ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के साथ-साथ विधानपालिका का मुख्य कार्य नीति निर्माण करना है। यह विडंबना है कि कालांतर में नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका कम होती गई और इस कार्य के लिए भी तंत्र अफसरशाही पर निर्भर हो गया। उन्होंने कहा कि जनता जिन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती है, उन्हें ही उसके लिए नीतियां बनानी चाहिए। नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका बढ़ाने के

# विधायकों ने उठाए सवाल, विशेषज्ञों ने दिए जवाब

श्री प्रमोद विज
पानीपत शहर

**जो पॉलिसी पहले से ही बनी हुई हैं, क्या उनमें भी बदलाव किया जा सकता है?**

**जवाब** : इस तरह की अवस्था में विधान सभा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और निःसंदेह ऐसी अवस्था में सरकार को विधायक द्वारा दिए गए सुझावों को स्वीकार कर उन पर निर्णायक फैसला करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों से बात कर सकते हैं। पूर्व में बनी नीतियों का अध्ययन करना चाहिए तथा उनके क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधियों को पैनी नजर रखनी चाहिए। इसके लिए उन्हें समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों पर भी ध्यान रखना होगा। जब भी सरकार कोई प्रस्ताव लेकर आए तो जनप्रतिनिधि होने के नाते एक विधायक को सरकार से ज्यादा से ज्यादा पेचिदा सवाल पूछकर अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। **(श्री चक्षुराय)**

श्री दीपक मंगला
पलवल

**जो क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ गए, उनके विकास के लिए किस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए?**

**जवाब** : जो योजनाएं पहले बनाई जा चुकी हैं, उनके क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि उन पर क्या-क्या काम हुआ है और आने वाले वर्षों में क्या काम होगा। अगर लगता है कि इन योजनाओं में किसी बदलाव की आवश्यकता है, तो उस बदलाव को तुरंत प्रभाव से लागू करवाने में एक सदस्य को अपना पूरा योगदान देने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार जब भी सरकार बजट लेकर आती है तो उस वक्त भी माननीय सदस्यों को विभिन्न प्रयोजनों/योजनाओं के तहत जो राशि का आबंटन किया गया है, के बारे में प्रश्न करने चाहिए। इस प्रकार के कदमों से माननीय सदस्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करवाने में सक्षम हो सकते हैं। **(श्री चक्षुराय )**

श्री शीशपाल सिंह
कालांवाली

**बिल पास करने की पूरी प्रक्रिया में सभी विधायकों की संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कैसे की जा सकती है?**

**जवाब** : वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में ऐसी बेहतरीन व्यवस्था शुरू हो गई है, जिसके तहत यहां पर 5 दिन पहले ही बिल, विधायकों के पास पहुंच जाते हैं। इस 5 दिन की समयावधि में विधायक अपने योगदान को सुनिश्चित करके विधान सभा में बिल के संदर्भ में अपनी बात रख सकते हैं और जरूरत पड़े तो बिल में संशोधन भी पेश कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि विधायकों को अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं का बारीकी से ज्ञान हो। उन्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह कोई भी विधेयक पूरे प्रदेश के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए स्थानीय मसलों के साथ पूरे प्रदेश की जरूरतों के अनुसार ही तालमेल बनाना होगा। बात करने से ही बात बनती है। **(श्री चक्षुराय )**

श्री देवेन्द्र बबली
टोहाना

**विकास से संबंधित योजनाओं को क्षेत्र विशेष तक सीमित न रखकर पूरे प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात बेहतरीन योजनाएं किस प्रकार बनाई जा सकती हैं?**

**जवाब** : क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं व जरूरतों के हिसाब से योजनाओं को बनाने की बात कही। इसके बाद श्री चक्षुराय जी ने बताया कि हर क्षेत्र की अपनी-अपनी एसोसिएशन्स होती हैं, यदि सरकार इन एसोसिएशन्स से राय लेकर भी कोई योजना तैयार करे तो भी बेहतरीन योजनायें बनाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त श्री चक्षुराय जी ने अपने आस-पास के राज्यों से विचार विमर्श करके भी बेहतरीन योजनायें बनाने पर भी बल दिया। सदस्य पिछड़े क्षेत्रों का विकास करवाने में सक्षम हो सकते हैं। **(श्री चक्षुराय)**

डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा,
जींद

**जब सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं मानें तो किस प्रकार क्षेत्र का विकास किया जा सकता है?**

**जवाब** : जो अधिकारी होते हैं वे केवल अपने विभाग के बारे में ही सोचते हैं और चूंकि एक जनप्रतिनिधि आमजन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी स्थिति में यदि जनप्रतिनिधि विभिन्न विभागों को साथ लेकर काम करना शुरू कर दें तो अपने क्षेत्र का ज्यादा अच्छी तरह से विकास करवा सकता है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो यह है कि उन्हें अपनी शक्तियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोटोकॉल के अनुसार विधायक का दर्जा प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से ऊपर होता है। इसलिए उन्हें अधिकारियों से अधिकारपूर्वक बात करनी चाहिए। **(श्री हर्ष श्रीवास्तव)**

श्री वरुण चौधरी
मुलाना

**जब योजनाएं बनाई जाती हैं तो उनमें विधायकों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो सकती है। विधान सभा में प्रश्न पूछने के अल्प समय तथा बिल के इंट्रोड्यूज होने और उसे जल्दबाजी में पास करना भी चिंता का विषय है। इसका समाधान कैसे होगा?**

**जवाब** : जब विभाग बिल बना रहा होता है तो विधायक उस विभाग में जाकर बिल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई बात ठीक नहीं लगती तो आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई अधिकारी, विधायक को इस बात के लिए मना करता है तो वह सीधे-सीधे गलत बात मानी जाएगी। जनप्रतिनिधि, जनता का नुमाइंदा होता है उसकी बात को तरजीह देना जरूरी होता है। इस संदर्भ में हरियाणा विधान सभा के सचिव श्री राजेंद्र कुमार नांदल ने बताया कि विधायक प्रपोज्ड बिल में भी संशोधन लेकर भी आ सकता है।

*माननीय विधायक गण पब्लिक पॉलिसी बनाने में अहम रोल निभाते हैं। पॉलिसी को पढ़ना और इसको लागू करना महत्वपूर्ण कार्य है। एक बार पॉलिसी लागू हो जाती है तो हर वर्ग के लोगों पर इसका असर पड़ता है। अगर पॉलिसी अच्छी है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर गलत है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए विधायकगणों को किसी भी पॉलिसी की पूरी जानकारी होना आवश्यक है।*

**– के. यतीश राजावत,**
सीईओ, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी

*जब भी कोई कानून बनाया जाये तो यह देखना बहुत जरूरी होता है कि जब इस कानून को जमीन पर उतारा जाएगा तो यह लोगों के लिए अच्छा होगा या नहीं। विधान सभा में माननीय सदस्यों द्वारा जितने ज्यादा पेचिदा सवाल पूछे जाएंगे सरकार की कार्यप्रणाली में उतनी ज्यादा स्पष्टता आएगी। इसलिए विधायक स्टीक और महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाकर अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं।*

**– चक्षु रॉय,**
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विंग लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के मुखिया

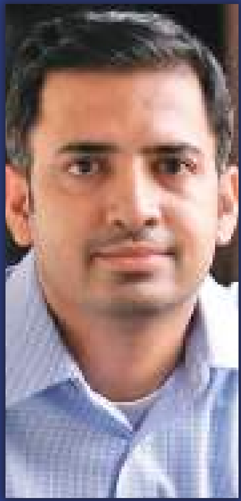

लिए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें संबंधित पक्षों की राय लेनी आवश्यक है। इसके साथ ही नीतियों की समयावधि तय होनी चाहिए और यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि इनका पुनर्मूल्यांकन कब होगा। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति कम होने के कारण विधायिकी तंत्र कमजोर हुआ है। कॉन्फ्रेंस के दौरान विशेषज्ञों ने इस पर सुझाव दिया कि विधायकों को अपने पहले 3 वर्ष विधि निर्माण व्यवस्था के लिए ही समर्पित होने चाहिए। बाद के 2 वर्ष वे अपने क्षेत्र के लिए लगाएं।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के. यतीश राजावत ने कहा कि इस प्रशिक्षण कॉन्फ्रेंस में जनता के बीच कार्य करने का अनुभव रखने वाले विधायक और नीति निर्माण की बारीकियों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का संगम हुआ है। उन्होंने विधायकों से आह्वान किया कि हर जिले में विकास की संभावनाएं अलग-अलग प्रकार की हैं। शोधकर्ताओं के सहयोग से जनप्रतिनिधि इन संभावनाओं की तलाश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने प्रत्येक बिल को पास करने से 5 दिन पूर्व विधायकों को उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता लागू की है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इससे विधायक बिल का गहराई से अध्ययन कर सकेंगे तथा उस पर कारगर सुझाव मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस नियम से विधायकों में अध्ययन की प्रवृत्ति भी विकसित होगी।

प्रशिक्षण के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के अनुसंधान निदेशक एवं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डीन सुभाशीष गंगोपाध्याय ने कहा कि नीतियां भले ही देखने में एक वर्ग विशेष के लिए हो, लेकिन वास्तव में वे समग्र समाज के लिए होती हैं। उन्होंने शिक्षा नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके लाभार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि वे सभी लोग हैं, जो शिक्षातंत्र में डॉक्टर बने युवाओं की सेवाएं लेते हैं।

माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के सीईओ हर्ष श्रीवास्तव ने गुरुग्राम और फरीदाबाद महानगरों के विकास का तुलनात्मक ब्योरा दिया। उन्होंने हरियाणा के दूसरे शहरों के लिए भी औद्योगिक विकल्प सुझाए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विंग लेजिस्लेटिव एंड सिविक एंगेजमेंट के मुखिया चक्षु रॉय ने नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन में खामियों को चिह्नित करते हुए उन्हें दुरुस्त करने के उपाय बताए। कॉन्फ्रेंस का अंतिम सत्र परस्पर विचार विमर्श एवं शंका समाधान का रहा। इसमें विधायकों ने अपने अपने विधान सभा क्षेत्रों में निहित विकास की संभावनाओं पर जानकारी हासिल की। ■

सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं धरातल पर बेअसर साबित होती हैं। पात्र गरीब लोगों के बी.पी.एल. कार्ड न बनाकर सरपंचों के चमचों का बी.पी.एल. कार्ड बनने से ही पूरे तंत्र की पोल खुल जाती है। इस समस्या को हल करने के लिए गांव के स्तर पर ऐसे ज्ञानवर्धक शिविर लगाए जाने चाहिए, जिनके माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न प्रकार की लाभकारी योजनाओं का ज्ञान हो सके। दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे नैतिक मूल्यों पर भी सरकार को काम करना चाहिए। जब तक हम युवा पीढ़ी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे तब तक विकास के सभी मापदंड बेमाने साबित होंगे।

**श्रीमती निर्मल रानी**
**गन्नौर**

**श्री बलराज कुंडू**
**महम**

जब कोई इमारत बनाई जाती है तो अधिकारी उसे तब देखने के लिए जाते हैं जब उस पर दो-तीन करोड़ रुपये खर्च हो चुके होते हैं, उससे पहले उसे जाकर भी नहीं देखते। ऐसी व्यवस्था में कैसे सुधार किया जा सकता है? अनाधिकृत कॉलोनी काटने के सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है? ऐसी समस्याएं प्रदेश में कई स्थानों पर देखने को मिलती है।

विकास की गति में फरीदाबाद के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण अफसरशाही व विगत सरकारों द्वारा दूरदर्शी योजनाएं न बनाना है। अन्य शहरों से इस शहर को जोड़ने पर भी ध्यान नहीं दिया गया। अब मनोहर सरकार फरीदाबाद के विकास के लिए दिन-रात काम कर रही है। यह सराहनीय कदम है।

**श्री नयन पाल रावत**
**पृथला**

**श्री अमित सिहाग**
**डबवाली**

यदि कोई सरकार किसी दृष्टिकोण पर काम करते हुए सुधार करना चाहती है और उसे उस कार्य में जनता का सहयोग प्राप्त हो जाये तो निश्चित रूप से उसके बेहतरीन परिणाम सामने निकलकर आयेंगे। इसके पश्चात उन्होंने बार-बार चुनकर आने वाले विधायको द्वारा राजनीति के वातावरण में घुल-मिलकर, जनता के प्रति उनकी उदासीनता पर भी ज्वलंत प्रश्न उठाते हुए इस विधायी प्रक्रिया को और ज्यादा सशक्त करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ही हमें विधान सभा में अपने विधान सभा क्षेत्र के मुद्दों को रखने के लिए बल मिलेगा।

# प्रश्नकाल

◆ दिनेश कुमार

**हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार विधान सभा अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से कुछ प्रश्नों को कार्यवाही का हिस्सा बनाते हैं। वर्तमान विधान सभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए प्रश्नों का चयन स्वयं न करते हुए ड्रा प्रक्रिया से करवाना शुरू किया है। इस प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका समाप्त हो जाती है।**

हरियाणा विधान सभा का मानसून सत्र 26 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। उस समय देश-दुनिया के साथ-साथ अपने प्रदेश में भी कोरोना का प्रकोप चरम पर था। इस कारण यह सत्र एक दिन की कार्यवाही के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया था। इसी क्रम में दूसरा चरण 5 से 6 नवम्बर तक आयोजित किया गया। तीन दिवसीय मानसून सत्र के लिए 46 माननीय विधायकों ने 414 तारांकित और 105 अतारांकित प्रश्नों के लिए नोटिस प्रस्तुत किए। विधान सभा सचिवालय की ओर से की गई स्क्रूटिनी में 292 तारांकित और 90 अतारांकित प्रश्न स्वीकृत किए गए।

मानसून सत्र के तीन दिन की कार्यवाही के लिए प्रश्नकर्ताओं का चयन ड्रा प्रक्रिया से किया गया। इसके तहत 60 तारांकित और 87 अतारांकित प्रश्नों को कार्यवाही में शामिल किया गया। इन प्रश्नों को माननीय विधायकों की ओर से पटल पर रखा गया तथा सरकार की ओर से संबंधित विभागों के मंत्रियों ने इनके जवाब दिए। ज्यादातर प्रश्न विधायकों के विधान सभा क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित रहे।

इसके अलावा विधायकों ने जनहित के विषय भी उठाए हैं। सदन संदेश के इस अंक में हम माननीय विधायकों की ओर से 5 नवंबर को सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के संपादित अंश प्रस्तुत कर रहे हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि सदन पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा विस्तार से पेश किए जाते हैं। स्थानाभाव के कारण इन सभी जवाबों को पत्रिका में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन विधान सभा सचिवालय ने ये सभी जवाब जनता तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। इसके लिए आप विधान सभा की वेबसाइट http://haryanaassembly.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।

श्रीमती रेणू बाला (सढौरा)

## विधि महाविद्यालय कब खुलेगा

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि बिलासपुर या यमुनानगर में विधि महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

श्री दीपक मंगला (पलवल)

## रेलवे पुल का निर्माण कब होगा

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि रसूलपुर तथा बामणी खेड़ा-हसनपुर सड़क पर रेलवे ऊपरि पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है। खर्च का ब्यौरा भी दें?

राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़)

## नारनौल कब होगा जिला घोषित

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि नारनौल को जिले के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसे कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

श्री नीरज शर्मा (एनआईटी)

## कार्रवाई न करने का कारण पूछा

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि एनआईटी के बूस्टर पर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण है।

श्री बलबीर सिंह (इसराना)

## बस स्टैण्ड में सुविधाएं कब

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि मतलौडा तथा इसराना के बस स्टैण्ड में महिला शौचालयों की व्यवस्था, उपरोक्त बस स्टैण्ड पर नए भवनों के निर्माण होने तक, कब तक किए जाने की संभावना है?

श्री शीशपाल सिंह (कालांवाली)

## घग्गर से चाहिए नहरें

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि गांव रंगा से आनंदगढ़ तथा रोहियां वाली से ब्लॉक बडागुढ़ा तथा गांव बारूवाली तथा सिरसा ब्लॉक के वेदवाला तक घग्गर नदी से नहरें निकालने का कोई प्रस्ताव है?

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा)

## ड्रेनें जुड़ेंगी या नहीं?

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि सीवरेज/बरसाती पानी की निकासी के लिए निर्मित मुख्य ड्रेन संख्या 1 को पुनः बनाने तथा इसे ड्रेन संख्या 2 से जोड़ने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया)

## पीएमएवाई की निधि है या नहीं

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत निधियां जारी नहीं की जा रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रीमती नैना चौटाला (बाढ़ड़ा)**

## इमारत का निर्माण कब होगा

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़ड़ा में उप-मण्डल की इमारत का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है? स्थानीय लोग लंबे समय से इस बारे में मांग करते आ रहे हैं।

**डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा (जींद)**

## विश्वविद्यालय केन्द्र खुलेगा क्या

क्या पशु पालन तथा डेयरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जींद में लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय का पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान का एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

**श्री प्रदीप चौधरी (कालका)**

## मोरनी के लिए क्या योजना है

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बताएंगे कि मोरनी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि है तो मोरनी में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या पग उठाए हैं?

**श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना)**

## रजबाहे का काम कब शुरू होगा

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि जींद रजबाहा नं. 3 से आरडी 0 से 74800 तक पुनर्स्थापन कार्य सरकार द्वारा कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**श्री अमित सिहाग (डबवाली)**

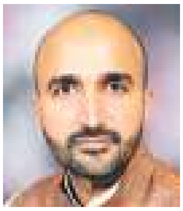

## सेक्टर बनाने की योजना क्या है

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि डबवाली-सिरसा सड़क पर अधिग्रहण की गई एचएसवीपी की 200 एकड़ भूमि पर रिहायशी सेक्टर विकसित करने तथा प्लॉट आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है?

**डॉ. अभय यादव (नांगल चौधरी)**

## खम्भों के नुकसान का ब्यौरा दें

क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि तीन वर्षों में तूफान के कारण जिलावार कितनी बिजली की लाइनें तथा खम्भें क्षतिग्रस्त हुए? हानि पर खर्च ब्यौरा दें तथा इससे बचने के लिए वैकल्पिक योजना क्या है?

**श्री रामकुमार गौतम (नारनौंद)**

## पुलिस भर्ती में आयु छूट देंगे क्या

क्या प्रदेश सरकार में गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम)**

## अतिभार वाहनों का संचालन क्यों

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या स्टोन क्रेशरों के मालिकों तथा अधिकारियों की मिलीभगत से अतिभार वाहनों का संचालन हो रहा है? अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

**श्री सीता राम यादव (अटेली)**

## सीवरेज प्रणाली बिछेगी क्या

गांव दोंगडा अहीर, सेहलंग, बाछोद, खेड़ी, धन्नौदा, पाथेड़ा, भोजावास, कांटी तथा मिर्जापुर की जनसंख्या 10,000 से अधिक है? क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि इन गांवों में सीवरेज बिछाने का प्रस्ताव है?

**श्री संजय सिंह (सोहना)**

## लघु सचिवालय का निर्माण कब

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सोहना तथा तावडू में लघु सचिवालय के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

**श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला)**

## फसल खरीद के प्रबंध क्या हैं

क्या कृषि व किसान कल्याण मंत्री बताएंगे कि गेट पास प्रणाली लागू करने के बजाय किसानों की समस्त फसल की खरीद के लिए उचित प्रबन्ध करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**श्री बिशन लाल सैनी (रादौर)**

## नलकूप कब लगेंगे

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जल जीवन योजना के अंतर्गत गांव फर्कपुर (यमुनानगर) बैंक कॉलोनी तथा कांसापुर में नलकूप लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? ■

# विधान विमर्श

***हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। 6 दिसंबर को पहली विधानसभा का प्रथम सत्र शुरू हुआ। तब से यहां निर्बाध रूप से सदनीय संवाद के रूप में विमर्श का क्रम जारी है। सदन संदेश के इस स्थायी कॉलम में हम हरियाणा विधान सभा में हुए भाषणों के अंश प्रकाशित कर रहे हैं। दूसरे अंक में प्रस्तुत हैं विधान सभा के तत्कालीन माननीय सदस्य चौधरी देवी लाल और चौधरी नेत राम के भाषण। ये भाषण 6 दिसंबर 1966 में दिए गए थे।***

**चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) :** स्पीकर साहिबा, मैं आप को जहां मुबारिकबाद देना चाहता हूं वहां आपोजीशन को भी मुबारिकबाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आप के युनैनीमस इलेक्शन का स्वागत किया है। आपोजीशन ने आप के सम्बन्ध में जिन ख्यालात का इजहार किया है, वह इसी वास्ते किया है कि आप ने ज्वाइंट पंजाब के अन्दर बतौर डिप्टी स्पीकर जिस ढंग से न्यूट्रैल्टी का रवैया इख्तियार किया, जिस तरह आप ने आपोजीशन को प्रोटेक्शन दी उसी की वजह आज आपोजीशन पार्टी वाले आप को रूलिंग पार्टी से भी ज्यादा जोरदार अल्फाज में मुबारिकबाद दे रहे हैं। मैं उन से तवक्को रखता हूं कि हमें यह कनवैन्शन कायम करनी चाहिए कि अगर स्पीकर को न्यूट्रल रखना है कि तो जनरल इलेक्शन में उन के मुकाबले में कोई कैंडीडेट न खड़ा हो। यह चीज आज तक हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हुई है, लेकिन हम अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो हिन्दुस्तान को लीड देंगे। जहां तक आप की तारीफ का ताल्लुक है वह हम तो करते ही हैं क्योंकि हम देखते रहे हैं, आप जिस अच्छे ढंग से काम करती रही हैं, लेकिन यहां पर 1965 के आखिर में ब्रिटिश पार्लियामेंटरी ग्रुप आया था जिन के साथ सर फैंक पियरसन, कन्ज़र्वेटिव पार्टी के एम.पी. भी दौरा कर रहे थे। उन्होंने हमारी स्पीकर साहिबा के बारे में जोकि उस वक्त डिप्टी स्पीकर थीं, जो कमेंट्स दिए वह मैं पढ़ कर सुनाता हूं। वह इस तरह फरमाते हैं; "For the men and also for the women who hold the most

difficult post of Speaker in Indian Legislatures, I came away with the highest regard. If ever a lady were to be dragged to the Chair at Westminster would requires that she first visit Chandigarh for a course of training under a mistress of the art"

मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा आप की तारीफ और क्या हो सकती है। मैं आप से तवक्को रखता हूं कि आप को रवैया पहले से भी अच्छा होना चाहिए और आपोज़ीशन को प्रोटेक्शन मिलती रहनी चाहिए।

आखिर में, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आइंदा जनरल इलेक्शन में आपोजीशन की तरफ से स्पीकर का कोई मुकाबला न किया जाए।

**चौधरी नेत राम (हिसार सदर) :** स्पीकर साहिबा, मुझे बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि आज मैं एक ऐसे नाम को प्राप्त करके उस प्रान्त में खड़ा हूं, जिसके बारे में मैं सुनता आया हूं कि हरियाणा का प्रान्त होता था। मेरी खुशकिस्मती है कि आज फिर हमने वह हरियाणा हासिल कर लिया है और उसकी पहली विधान सभा का मैं मैम्बर हूं। मैं हरियाणा असेम्बली को इस बात की बधाई देता हूं जिसने स्त्री समाज को सम्मान देते हुए आप को स्पीकर चुना है। मैं आपको स्पीकर चुने जाने पर बधाई देता हूं। वैसे तो हमने हरियाणा प्राप्त कर लिया है लेकिन इससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि हम सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं कि यहां 1857 से पहले एक विशाल हरियाणा था जो कि जंगे आजादी में अंग्रेजों के साथ लड़ा और बाद में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई तो उन्होंने इस विशाल प्रान्त के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तो, स्पीकर साहिबा, हम उस विशाल हरियाणा को प्राप्त करने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप के स्पीकर होते हुए हमारे लिए विशाल हरियाणा प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। विशाल हरियाणा बन कर ही रहेगा।

अभी-अभी मेरे दोस्त चौधरी देवीलाल जी ने, जो कभी उधर से इधर आ जाते हैं और इधर से उधर चले जाते हैं, यह बात कही कि कांग्रेस के कैंडिडेट का मुकाबला न किया जाए। हम उन से हरगिज इत्तफाक नहीं करते और मैं यह कहता हूं कि कांग्रेस का मुकाबला जरूर करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को कुरप्ट किया है। ■

ऐ किसान! चौकस हो कर रह, चौकन्ना बन और होशियारी से काम ले। यह दुनिया ठगों की बस्ती है और तू आसानी के साथ ठगी के जाल में फंस जाता है। जिनका तू पालनहार है वे ही तेरी जान के प्यासे हैं। ... अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो और यह भी तलाश करो कि उनकी भलाई किसमें है? अपने शुद्ध दिल से, यह पावन प्रतिज्ञा करो कि तुम दूसरों को अपने अधिकारों से वंचित नहीं करोगे और जब तुमको शक्ति अथवा सरकारी ताकत मिल जाए तो तुम उनके साथ न्याय का व्यवहार करोगे। **- सर छोटूराम**

# धरती पुत्र और सियासी प्रदर्शन

◆ दिनेश कुमार

धरती पुत्र धान की कटाई में व्यस्त है। मकई की कटाई के तुरंत बाद पके बाजरे को भी थ्रैसर से निकालना जरूरी है। तिल की भी खूब तार बैठी हुई है। कुछ जमींदारों के खेत नरमा की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। हर तीसरे दिन की चुगाई व्यस्तता को काफी बढ़ा देती है। कुछ भी हो आने वाले त्योहारों की उमंग इन्हीं जींसों में छुपी है। इसी आवक के सहारे किसान की दिवाली मनने वाली है। शादियों का सीजन भी सिर पर है। अनेक परिवारों ने लाडलियों के हाथ पीले करने हैं तो कइयों के गबरू घोड़ी चढ़ने की तैयारी में हैं। ऐसे में किसान का मन किसानी के सिवाय कहीं और कैसे जा सकता?

अपनी मेहनत से दुनिया की क्षुधा शांत करने वाला किसान जिस वक्त अपने सर्वोच्च कर्तव्य में व्यस्त था, ठीक उसी वक्त उसके नाम पर सिसायत हो गई। अनेक पार्टियां और संगठन उसके हिमायती होने का दम्भ भरने लगे। मामला देश की संसद द्वारा किसानों के मसलों को लेकर पारित तीन विधेयकों से शुरू हुआ। सरकार का कहना है कि तीनों विधेयक कृषि जगत की कायाकल्प करने वाले हैं। याद आया कि प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था। इसलिए सरकार की दलील है कि यह उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का तो यहां तक कहना है कि ' यह आज़ादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आज़ादी' है।

उधर, विपक्ष का दावा है कि यह सब खेत-खलियान को कार्पोरेट के हवाले करने की साजिश है। कृषि से जुड़े तीनों विधेयकों को लेकर विपक्ष नेता सड़कों पर उतर आए हैं। मसला किसानों से जुड़ा है, इसलिए ट्रैक्टरों की सवारी करनी बनती है। मीडिया के लिए उपयोगी फोटो भी तभी बनते हैं, जब आप कुछ हटकर करते हैं। विपक्ष ने अनेक गंभीर सवाल उठाए हैं। वह सरकार से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने की गारंटी मांग रहा है। उसे आशंका है कि कहीं छोटे किसान बड़ी कंपनियों के आगे नगण्य तो नहीं हो जाएंगे। इन आंशकाओं के निराकरण के लिए सत्ता पक्ष के नेता भी मैदान में उतर चुके हैं।

संसद ने कृषि क्षेत्र के उत्थान व किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से दो विधेयक 20 सितंबर को तथा तीसरा विधेयक 22 सितंबर को पारित किया। 'कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक-2020' और 'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020' को लोकसभा ने 17 सितंबर को पारित कर दिया था, जबकि राज्य सभा ने इन विधेयकों को 20 सितंबर को पारित कर दिया। तीसरा, 'आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020' 14 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया था तथा अगले ही दिन पास कर दिया गया। ये विधेयक 5 जून, 2020

## कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020

### मुख्य प्रावधान

- किसानों को उनकी उपज के विक्रय की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जहां किसान एवं व्यापारी कृषि उपज मंडी के बाहर भी अन्य माध्यम से भी उत्पादों का सरलतापूर्वक व्यापार कर सकें। यह विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर एवं बाहर देश के किसी भी स्थान पर किसानों को अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर एवं व्यवस्थाएं प्रदान करेगा।
- किसानों को अपने उत्पाद के लिए कोई उपकर नहीं देना होगा और उन्हें माल ढुलाई का खर्च भी वहन नहीं करना होगा।
- विधेयक किसानों को ई-ट्रेडिंग मंच उपलब्ध कराएगा, जिससे इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित किया जा सके।
- मंडियों के अतिरिक्त व्यापार क्षेत्र में फॉर्मगेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्रसंस्करण यूनिटों पर भी व्यापार की स्वतंत्रता होगी।
- किसान खरीददार से सीधे जुड़ सकेंगे जिससे बिचौलियों को मिलने वाले लाभ के बजाए किसानों को उनके उत्पाद की पूरी कीमत मिल सके।

### शंकाएं

- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की ख़रीद बंद हो जाएगी
- कृषक कृषि उत्पाद यदि पंजीकृत बाजार समितियों (एपीएमसी मंडियों) के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी
- ई-नाम जैसे सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा?

### समाधान

- एमसपी पर पहले की तरह खरीद जारी रहेगी। किसान अपनी उपज एमएसपी पर बेच सकेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए एमएसपी अगले सप्ताह घोषित की जाएगी।
- मंडिया समाप्त नहीं होंगी, वहां पूर्ववत व्यापार होता रहेगा। इस व्यवस्था में किसानों को मंडी के साथ ही अन्य स्थानों पर अपनी उपज बेचने का विकल्प प्राप्त होगा।
- मंडियों में ई-नाम ट्रेडिंग व्यवस्था भी जारी रहेगी।

## कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

### मुख्य प्रावधान

- कृषकों को व्यापारियों, कंपनियों, प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों से सीधे जोड़ना। कृषि करार के माध्यम से बुवाई से पूर्व ही किसान को उसकी उपज के दाम निर्धारित करना। बुवाई से पूर्व किसान को मूल्य का आश्वासन। दाम बढ़ने पर न्यूनतम मूल्य के साथ अतिरिक्त लाभ।
- इस विधेयक की मदद से बाजार की अनिश्चितता का जोखिम किसानों से हटकर प्रायोजकों पर चला जाएगा। मूल्य पूर्व में ही तय हो जाने से बाजार में कीमतों में आने वाले उतार-चढ़ाव का प्रतिकूल प्रभाव किसान पर नहीं पड़ेगा।
- इससे किसानों की पहुंच अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि उपकरण एवं उन्नत खाद बीज तक होगी।
- इससे विपणन की लागत कम होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में उसका निपटारा 30 दिवस में स्थानीय स्तर पर करने की व्यवस्था की गई है।
- कृषि क्षेत्र में शोध एवं नई तकनीकी को बढ़ावा देना।

### शंकाएं

- अनुबंधित कृषि समझौते में किसानों का पक्ष कमजोर होगा और वे कीमतों का निर्धारण नहीं कर पाएंगे
- छोटे किसान संविदा खेती (कांट्रेक्ट फार्मिंग) कैसे कर पाएंगे? क्योंकि प्रायोजक उनसे परहेज कर सकते हैं।
- नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी होगी। विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को लाभ होगा।

### समाधान

- किसान को अनुंबध में पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी कि वह अपनी इच्छा के अनुरूप दाम तय कर उपज बेच सकेगा। उन्हें अधिक से अधिक 3 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त होगा।
- देश में 10 हजार कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं। यह समूह (एफपीओ) छोटे किसानों को जोड़कर उनकी फसल को बाजार में उचित लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करेंगे।

## आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक -2020

### मुख्य प्रावधान

- अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज एवं आलू आदि को अत्यावश्यक वस्तु की सूची से हटाना।
- अपवाद की स्थिति, जिसमें कि 50 प्रतिशत से ज्यादा मूल्य वृद्धि शामिल है, को छोड़कर इन उत्पादों के संग्रह की सीमा तय नहीं की जाएगी। इस प्रावधान से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- कीमतों में स्थिरता आएगी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू होगी।
- देश में कृषि उत्पादों के भंडारण एवं प्रसंस्करण की क्षमता में वृद्धि होगी। भंडारण क्षमता वृद्धि से किसान अपनी उपज सुरक्षित रख सकेगा एवं उचित समय आने पर बेच पाएगा।

### विपक्ष की आशंकाएं

- बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का भंडारण करेंगी। उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा। कालाबाजारी बढ़ सकती है।

### समाधान

- निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा।
- कोल्ड स्टोरेज एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से किसानों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा।
- फसल खराब होने की आंशका से किसान दूर होगा। वह आलू-प्याज जैसी फसलें ज्यादा निश्चितता से उगा पाएगा।
- एक सीमा से ज्यादा कीमते बढ़ने पर सरकार के पास पूर्व की तरह नियंत्रण की सभी शक्तियां मौजूद।
- इंस्पेक्टर राज खत्म होगा, भ्रष्टाचार समाप्त होगा।

## सियासी जमीन खिसकती देख कांग्रेसियों में राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाने की होड़

केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि सुधारों के तीन बिलों के बारे कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों में बेचैनी पैदा हो गई है, क्योंकि किसान हित के इन बिलों से उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है और वे किसानों को बरगलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं द्वारा श्री राहुल गांधी का ट्रैक्टर चलाने की होड़ मचने से पूरा वाकया स्पष्ट हो जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेंगे और मंडियां भी बनी रहेंगी। किसान को मण्डी से बाहर अपनी उपज का न्यूनतम समर्थन से अधिक भाव मिलता है तो विपक्षी पार्टियों को किस बात की तकलीफ है। कांग्रेस व अन्य पार्टियां इस बात की अफवाह फैला रही हैं कि अनुबंध खेती से किसानों की जमीन कम्पनियां हथिया लेंगी, ये सरासर गलत है। यमुनानगर जिले में गन्ने की अनुबंध खेती सरस्वती चीनी मिल व अन्य मिलों के साथ सदियों से होती आ रही है। मैंने स्वयं यह अनुबंध खेती की है और अब भी कर रहा हूं। विपक्षी पार्टियों को अडानी व अम्बानी दो ही नाम नजर आते हैं। अगर निवेश इंग्लेंड, फ्रांस, जर्मनी या किसी अन्य देश से हो तो निवेश के नाम पर कांग्रेस पार्टी पीठ थपथपाने का काम करती है और यही निवेश कोई अपने ही देश का निवेशक करे तो उनको आपत्ति है।

**श्री कंवरपाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा**

**पक्ष**

को आए अध्यादेश को कानून में बदलने के लिए लाए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पहले दो विधेयक पेश करते हुए कहा कि किसानों के पास मंडी में जाकर लाइसेंसी व्यापारियों को ही अपनी उपज बेचने की विवशता क्यों, अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा। तीसरा विधेयक उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने पेश किया था। उन्होंने कहा कि भंडारण सुविधाओं में कमी के कारण कृषि उपज की बर्बादी को रोकने के लिए यह संशोधन बहुत आवश्यक है।

वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री पी. चिदंबरम ने कहा कि कृषि उपज विपणन (एपीएमसी) कानून आज किसानों के बड़े तबके के लिए एक सुरक्षा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मूल्य निर्धारण का एक संकेत है, जिसके आधार पर बाजार कीमतें तय करता है। ये विधेयक एमएसपी के इस महत्व को खत्म कर देंगे और एपीएमसी कानून भी निष्प्रभावी हो जाएगा।

तीनों विधेयकों को लेकर सियासी गलियारों में विवाद बढ़ता देख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहें हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। बिचौलिए जो किसानों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे, उनसे बचने के लिए ये विधेयक लाना ज़रूरी था।

हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कृषि विशेषज्ञ डॉ. समर सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र से संबंधित तीनों नए विधेयकों में किसानों को लाभ पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई है, वह वर्षों पहले हो जानी चाहिए थी। अगर ऐसा हो जाता तो कृषक वर्ग आज अन्य किसी व्यावसायिक वर्ग की तरह आर्थिक रूप से सशक्त हो गया होता। इन विधेयकों में जो प्रावधान किए गए हैं, वे किसानों को अपने कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पूरी संभावना है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं अधिक भाव मिले। इससे बाजारों का दायरा बढ़ेगा और किसान जहां अधिकतम मूल्य मिलेगा वहीं अपनी पैदावार बेचेगा। ■

‘किसान मित्र योजना’ के तहत प्रगतिशील किसान ‘किसान मित्र’ के रूप में काम करेगा और एक किसान मित्र 100 किसानों की वित्तीय प्रबंधन में मदद करेगा।

**किसान मित्र योजना**

‘प्रगतिशील किसान ट्रेनर’ योजना के तहत प्रगतिशील किसान कम से कम आसपास के 10 किसानों को अपनाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इस योजना में एक किसान दूसरे किसान की मदद करेगा, जिससे एक दुसरे को सिखाकर वे आगे बढ़ सकेंगें। अलग-अलग श्रेणी में किसान को पुरुस्कृत किया जाएगा।

**प्रगतिशील किसान ट्रेनर**

किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ‘पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना’ लागू। अब तक 6 लाख से अधिक पशुपालकों के फार्म भरवाए जा चुके हैं। इनमें प्रदेश के एक लाख 32 हजार पशुपालक सहकारी दुग्ध समितियों को दूध बेचते हैं। अब तक हरियाणा में 6500 पशुपालकों को पशु क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं तथा 35 हजार किसानों के केसीसी विभिन्न बैंको द्वारा मंजूर किए जा चुके हैं जो इसी महीने दे दिये जाएंगे।

**पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना**

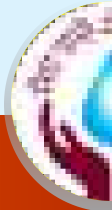

प्रदेश में धान की जग
फसलों को बढ़ावा दे
पानी-मेरी विरासत य
योजना के तहत 1 ला
हैक्टेयर क्षेत्र पंजीकृ
लक्ष्य धान के रकबे
हजार हैक्टेयर भूमि प
बाजरा जैसी वैकल्पिक
करवाने का है। इन
85 से 90 प्रतिशत पा
सकती है। किसानों क
के रूप में 7 हजार
दिये जाएंगे। पहले च
ब्लॉक शामिल किए
जल की गहराई 40

**मेरा पानी-मेरी वि**

# 7 योजनाएं जो बनीं कि

## हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, किसान हितों को लेकर चिंतित हैं

ये तीनों विधेयक पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। इनसे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा होगा और किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। किसान के पास पहले ही कुछ नहीं है। सब कुछ महंगा हो चुका है। गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, डीएपी सब कुछ और ऊपर से मंडी सिस्टम खत्म किया जा रहा है। एमएसपी पहले ही बहुत कम है। जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी कौन देगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर पंजाब ने सराहनीय काम किया है। इस कानून में एमएसपी से कम पर फसली उत्पाद खरीदने वालों को दंडित करने का प्रावधान है। हरियाणा में भी ऐसा कानून बना कर किसान हितों का संरक्षण करना चाहिए। नहीं तो पूंजीपति जमकर किसानों का शोषण करेंगे और छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बहाने लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे एंग्रीमेंट में 100 तरह की पेचिदगियां होती हैं, जिन्हें किसानों के लिए समझ पाना असंभव है। किसान कहां-कहां ठोकर खाता फिरेगा। ऐसी शिकायतों के निवारण के लिए एसडीएम को लगाया गया है, जो सिर्फ सरकार के हितों का ख्याल रखेंगे, किसानों का नहीं। हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे, वास्तव में हम किसान हितों को लेकर चिंतित हैं।

**विपक्ष**

- श्रीमती किरण चौधरी कांग्रेस विधायक, तोशाम

## विशेषज्ञ की राय : मुनाफा बढ़ेगा, जोखिम घटेगा

*कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जहां उत्पादों के पूर्व मूल्य निर्धारण से किसानों का जोखिम कम होगा, वहीं खरीदार गुणवत्ता सुधारने में भी मदद करेगा, क्योंकि इससे उसका सीधा हित जुड़ जाएगा। तीसरा बड़ा फायदा यह होगा कि सीजन में आवक के समय दाम गिरने की समस्या से निजात मिलेगी। दाम कम होने की स्थिति में किसान अपनी सुविधा अनुसार अपने उत्पादों का भंडारण कर सकेगा और बाद में दाम बढ़ने की स्थिति में उसे बेच सकेगा।*

- **डॉ. समर सिंह**, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

ह कम पानी वाली
देने के लिए 'मेरा
योजना' शुरू। इस
ख 26 हजार 927
त। इस योजना का
में से 2 लाख 50
पर मक्का, कपास,
फसलों की बुआई
फसलों के बोने से
नी की बचत की जा
को प्रोत्साहन राशि
रुपये प्रति एकड़
रण में राज्य के 19
गए है जिनमें भू-
मीटर से ज्यादा है।

**विरासत योजना**

किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 'अटल किसान-मजदूर कैंटीन' शुरू। इसके तहत करनाल, पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, टोहाना, घरौंडा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, रोहतक, गोहाना व नूंह में 12 कैंटीन शुरू की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त 13 कैंटीन तैयार हैं, जो जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। खाना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार करेंगी।

**अटल किसान-मजदूर कैंटीन**

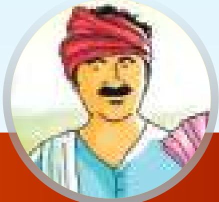

'प्रगतिशील किसान सम्मान योजना' के तहत प्रथम स्थान पाने वाले प्रगतिशील किसान को 5 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 2 किसानों को 3-3 लाख रुपये, तृतीय पुरस्कार 5 किसानों को 1-1 लाख रुपये तथा 100 किसानों को 50-50 हजार रुपये के सांत्वना पुरस्कार देने का प्रावधान। हर साल सरकार 70 से 75 लाख रुपए के पुरस्कार देगी।

**प्रगतिशील किसान सम्मान**

'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के तहत मछुआरों व मत्स्य पालकों का 5 लाख रुपये तक का नि:शुल्क बीमा। अब तक 1400 मछुआरों व मत्स्य पालकों का बीमा किया गया।

**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा**

## कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार के प्रयास

1. कोविड-19 महामारी के बावजूद हर किसान के हर दाने की सरकारी खरीद की गई। गेहूं की अब तक 73.11 लाख मीट्रिक टन तथा सरसों की 7.50 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है।
2. चने की 10 हजार 703 मीट्रिक टन तथा सूरजमुखी की 16 हजार 70 मीट्रिक टन खरीद की गई है।
3. गेहूं के लिए 12,942 करोड़ रुपये तथा सरसों के लिए 3304 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
4. चने के लिए 52 करोड़ रुपये तथा सूरजमुखी के लिए 76 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
5. फसली ऋणों पर 4 प्रतिशत ब्याज दर में छूट।
6. मंडियों में किसान और आढ़तियों को 10 लाख रुपये का बीमा कवर।

# सानों के लिए वरदान

साक्षात्कार

**श्री ज्ञान चंद गुप्ता**

**माननीय अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा**

# कर्मण्यता की मिसाल है
# विधान सभा अध्यक्ष का जीवन

*लोग सुबह जब अपने कार्यस्थलों पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उस समय तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता विकास कार्यों का सूक्ष्म जायजा लेकर और हलके के लोगों का हाल-चाल पूछकर घर की तरफ लौट रहे होते हैं। लोगों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान करते-करते कब दिन डूबने के कगार पर पहुंच जाता है, पता ही नहीं चल पाता। उनकी सक्रियता का यह सिलसिला देर रात तक निर्बाध गति से चलता है। उनकी यह सक्रियता कोई आकस्मिक उत्साह जनित नहीं, अपितु तीन दशक अर्थात् 1980 से सतत रूप से जारी है। कार्य के प्रति इस समर्पण भाव और निरंतरता के पीछे अंततोगत्वा कौन से कारक हैं? ये कारक हैं उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होना और रगों में दौड़ता स्वतंत्रता सेनानी परिवार का खून।*

*श्री ज्ञान चंद गुप्ता का जन्म 25 मई 1948 को चंडीगढ़-दिल्ली रोड पर स्थित डेरा बस्सी कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें देशभक्ति के संस्कार और मातृभूमि की सेवा करने की प्रेरणा विरासत में मिली। उनके चाचा लाला विलायती राम स्वतंत्रता सेनानी थे और वह आर्य समाज द्वारा संचालित हिन्दी आंदोलन में हैदराबाद जेल में रहे। उनके मामा जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इसी के चलते पंजाब सरकार द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की गई। वर्ष 1962 में 14 वर्ष की अल्प आयु में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और अपनी शाखा में गटनायक, मुख्य शिक्षक एवं कार्यवाह आदि जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वर्ष 1980 में वे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में चंडीगढ़ भाजपा में शामिल हुए। चार दशकों से पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियों को जिस लग्न, ईमानदारी एवं कठोर परिश्रम से निभाया, उससे पार्टी में उनका विशिष्ट स्थान बन गया। इसके साथ-साथ आप अनेक सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और खेल संगठनों से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे। सदन संदेश पत्रिका के प्रधान संपादक* **दिनेश कुमार** *द्वारा लिया गया उनका साक्षात्कार -*

**सवाल : आपका जन्म साधारण परिवार में हुआ। सामान्य आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आपने राजनीति में विशिष्ट पहचान बनाई। कौन सा ऐसा विशिष्ट गुण है, जिससे यहां तक पहुंचे?**

**जवाब :** मेरा विश्वास है कि पूरी तन्मयता से अपना कर्तव्य कर्म करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। मुझे जीवन में जो भी जिम्मेदारी मिली उसे पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयत्न किया है।

**सवाल : आप बाल्यकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। बताया जाता है कि वहीं से आपने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का पाठ सीखा। आज आप विधान सभा के माननीय अध्यक्ष हैं। सदन संचालन में अनुशासन बनाए रखना ही बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बाल्यकाल के प्रशिक्षण का कितना लाभ मिल रहा है?**

**जवाब :** जो कुछ भी मैं आज हूं, यह सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सीखे अनुशासन का ही परिणाम है। समय की पाबंदी और अनुशासन की मर्यादा ही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। घर हो या कार्य स्थल सभी जगह इसकी आवश्यकता रहती है। इससे बेशक कुछ लोगों को दिक्कत रहती हो, लेकिन इसका पालन जरूरी है।

**सवाल : राजनीति समाज सेवा का उत्कृष्ट माध्यम है। भारतीय दर्शन में यह राष्ट्रभक्ति का पर्याय रही है। इसके बावजूद कुछ दशकों से नेताओं के बारे में समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं?**

**जवाब :** मैं समझता हूं आपने जो यह बात कही है, वह बिल्कुल सही है कि आज नेता एक गाली बन कर रह गया है। किसी को गाली देनी हो तो नेता कहकर बुलाते हैं। आमतौर पर लोग कह देते है कि यह राजनीतिक कर रहा है। इसका कारण यह है कि राजनीति में जो स्वच्छता आनी चाहिए, जितना सेवा का भाव चाहिए। इन सबका स्थान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और धन की अधिकाधिक चाह वाले कुछ नेताओं के कारण पूरे राजनीतिक समुदाय की छवि प्रभावित हुई है। और उसी के कारण सामान्य परिवारों में अपने सदस्यों को राजनीति में आने से रोका जाता है। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा आया था जब मैंने राजनीति से विमुख होकर सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का मन बना लिया था। तब ऐसी मनस्थिति का प्रकटीकरण मैंने तत्कालीन क्षेत्रीय प्रचारक माननीय जय गोपाल जी के सम्मुख किया था। मैंने उनसे कहा था कि ये राजनीति मुझे अच्छी नहीं लगती और इसे छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने इसका कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि राजनीति में जिस प्रकार का व्यवहार और आचरण देखने को मिलता है वह मेरे बस का नही है। तब श्री जय गोपाल जी ने कहा कि अगर सभी अच्छे लोग राजनीति से किनारा करेंगे तो इस क्षेत्र में बुरे लोग ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे। ऐसा होने से राजनीति और ज्यादा खराब हो जाएगी। समाज हित के लिए अच्छे लोगों का राजनीति में जाना अति आवश्यक है। उसी दिन से मैंने दोबारा मन बनाया कि मुझे राजनीति क्षेत्र में ही काम करना है।

**एक समय था जब आप चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी समय श्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे तथा उनका केंद्र आपका शहर हुआ करता था। उनके सानिध्य और मार्गदर्शन का क्या लाभ हुआ?**

**जवाब** मैंने 5 वर्ष श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम किया। उस दौरान उनसे सबसे बड़ी प्रेरणा एक तो यह मिली कि जो भी काम हाथ में ले लिया, उसे बीच में बिल्कुल न छोड़ें, अपितु समयबद्ध तरीके से पूरा करें। दूसरा कड़ी मेहनत करने का स्वभाव। हम कई बार रात को 12 बजे भी मोदी जी के पास जाते थे, तो देखते थी वे काम में जुटे हुए हैं। हम हैरान रह जाते थे कि पार्टी संगठन के कार्य के प्रति उनमें जबरदस्त समर्पण का भाव था। तीसरा, बहुत की बारीकी से मॉनीटरिंग, जिस के जिम्मे जो काम लगा है, वह पूरी प्रामाणिकता से हो रहा है या नहीं। तत्परता से निर्णय लेने की खूबी भी मोदी जी में देखी। मोदी जी को आधुनिक तकनीकों के प्रति काफी लगाव है। वे 90 के दशक में संगठन मंत्री थे। जब हम उनसे मिलने जाते थे तो देखते थे कि वे उस समय भी मोबाइल फोन का प्रयोग करते थे। उन्होंने हमसे पार्टी कार्यालय के लिए कंप्युटर का प्रबंध करने को कहा और पार्टी कार्यालय में तब से कंप्युटर है। मोदी जी भविष्य की जरूरतों को भी समझ लेते थे। इसके लिए वे हमेशा कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहने को कहते थे।

**सवाल : 14वीं विधान सभा में 44 विधायक पहली बार चुन कर आए हैं। आपने उन्हें सदन की कार्यवाही के बारे में प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी भी उठाई है। जनवरी 2020 में माननीय लोक सभा अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशिक्षण करवाया। उसके बाद 6 अगस्त 2020 को ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं?**

**जवाब :** कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षण का अति महत्व है। यह सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लिए विधायी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण जरूरी हो जाता है। जनहित के विषय उठाने के कितने प्रकार के तरीके संसदीय कार्यप्रणाली में उपलब्ध होते हैं, इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को होनी आवश्यक है। प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव इत्यादि सभी संसदीय प्रक्रियाएं बहुत उपयोगी हैं। इनका समुचित लाभ तभी होगा जब विधायकों को इनकी जानकारी होगी। जैसा कि आपने कहा कि 44 विधायक नए हैं, उन सभी ने समाज सेवा तो बहुत की होगी, अपने कार्य क्षेत्र में लोगों के काम भी बहुत किए होंगे, लेकिन विधायी कार्य करने के लिए बहुत से सदस्य बिल्कुल नए हैं। इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी के लिए हम प्रयासरत हैं और इस क्रम में 14वीं विधानसभा में अभी तक 2 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सका है। पहले कार्यक्रम में माननीय लोक सभा अध्यक्ष स्वयं उपस्थित रहे थे। आज हम ई-विधान सभा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आधुनिक तकनीक की जानकारी होना भी माननीय

**पं. दीन दयाल उपाध्याय जी एकात्म मानवदर्शन की बात करते थे। इस दर्शन में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और समष्टि आपस में एक दूसरे के पूरक हैं तथा इनके हितों में परस्पर टकराव संभव नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस दर्शन की प्रासंगिकता कितनी है?**

**जवाब** एकात्म मानव दर्शन पं. दीन दयाल उपाध्याय जी की ओर से 'स्वदेशी सामाजिक-आर्थिक मॉडल' पर आधारित मानव के संपूर्ण विकास का दर्शन है। मुंबई में 22 से 25 अप्रैल, 1965 में उन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या की। 'एकात्म मानव दर्शन' में विकास के केंद्र में मानव है। इसमें उन्होंने एक वर्गहीन, जातिहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव का गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संयमपूर्ण उपभोग का समर्थन करता है। पं. दीन दयाल जी का चिंतन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान पर केंद्रित था। यह सिद्धांत विविधता को भी प्रोत्साहन देता है, जो कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।

सदस्यों के लिए आवश्यक है।

**सवाल : विधायकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भविष्य में क्या योजना रहेगी?**

**जवाब** : प्रशिक्षण वर्ग इसी प्रकार चलते रहेंगे। पिछली बार जिन लोगों ने इस कार्य में सहयोग दिया था, उनसे पुनः संपर्क किया गया है।

**सवाल : इस बार हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही के दृश्य गत वर्षों से काफी बदले हुए हैं। लगता है अनावश्यक शोर शराबे का दौर बीत सा गया। इतने बड़े परिवर्तन के पीछे वजह क्या है?**

**जवाब** : सबसे बड़ी बात तो यह है कि बड़ी संख्या नये सदस्यों की है और वे सभी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण हर चीज की बारीकियां सीखने के लिए प्रयासरत हैं। दूसरा, विधान सभा की कार्यशैली इस प्रकार से विकसित हो रही है कि असल मुद्दों पर चर्चा हो। मेरी माननीय सदस्यों से भी यही अपील रहती है कि जनता से प्रत्यक्ष जुड़े मसलों पर बात करें। राजनीति अपने कार्यक्षेत्र में करें, सदन का उपयोग विधायी कार्यों के लिए हो। यहां जनहित के मुद्दे ही प्रमुख रहने चाहिए।

**सवाल : एक समय था जब विधान सभा में बिल पेश करना और उसे पास करवाना मात्र औपचारिकता बन रह गया था। आपका प्रयास बिल की विषय-वस्तु पर गंभीर चर्चा करवाना रहता है। इस प्रयास के कैसे परिणाम आ रहे हैं?**

**जवाब** : इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं अंतिम क्षण तक बिल पेश की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें। इसके लिए मुख्यमंत्री से बात कर सरकार का सहयोग भी सुनिश्चित किया है। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि कोई भी बिल कम से कम 5 दिन पहले प्रस्तुत किए जाए, ताकि सभी सदस्य उसका विधिसम्मत ढंग से अध्ययन कर सके। मुझे विश्वास है कि अगर न्यायसंगत ढंग से हम सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे तो उसके बहुत ही चमत्कारी परिणाम आएंगे। और जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने हमें चुनकर भेजा उन पर खरा उतर सकेंगे।

**सवाल : विधान सभा अध्यक्ष होने के साथ-साथ आप पंचकूला से विधायक भी हैं। आपके प्रयास से वहां विकास के अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। इन्हें सिरे चढ़ाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय रखना आवश्यक है। दलगत राजनीति से दूर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियों के साथ सक्रिय राजनीति में रहना होता है, दोनों में कैसे तालमेल बनाते हैं?**

**जवाब** : लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करना है। जनहित और समाजहित के कार्य ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि जिस जनता ने चुनकर यहां भेजा, जवाबदेही तो उसी के प्रति है। दूसरा, मैं संवैधानिक पद पर बैठा हूं। इसलिए प्रयास रहता है कि दलगत राजनीति न हो। पार्टी से ऊपर उठकर सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार रखना होता है। तीसरा, विधान सभा के अनुशासन का पालन करना और करवाना होता है। विधायकों के संरक्षक के नाते उनके हितों का ख्याल करना भी मेरा कर्तव्य है। इसलिए जब-जब विधायकों की तरफ से कोई शिकायत भी आई तो उस पर निर्णय भी लिए। जैसा कि आपने

कहा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पंचकूला में सरकार की तरफ से विकास के बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पंचकूला को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर अग्रसर हैं। सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर बनाने का प्रयास है। यह सब जनता के सुझाव और सहयोग से हो, इसके लिए सलाहाकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जनता और प्रशासन के अधिकारी मिल योजनाएं बनाते हैं तथा आपसी सहयोग से उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

**सवाल : आपका राजनीतिक जीवन दशकों पुराना है। निश्चित रूप से जब आपने इस क्षेत्र में पदार्पण किया तब देश-प्रदेश की राजनीति में जो पार्टियां प्रभावी भूमिका में थीं, आपने उन पार्टियों की बजाय भाजपा को चुना। इसके पीछे क्या कारण था?**

**जवाब :** इसके पीछे कारण है- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ ने जो समाज के प्रति समर्पण और सेवा का भाव जगाया, उसका विकास और प्रकटीकरण भाजपा में ही किया जा सकता था। वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति और सहयोग का दृष्टिकोण विकसित हुआ। संघ से अनुशासन सीखा और जाति-पंथ, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर पूरे देश को एकजुट रखने का दृष्टिकोण परिपक्व किया। राष्ट्रहित व्यक्तिगत हितों से कहीं ऊपर रहे। समाज जीवन में सक्रिय लोग भाई-भतीजावाद में न उलझें। यह प्रेरणा संघ से मिली। इसी प्रेरणा के आधार पर भाजपा में लगभग 40 वर्षों से काम कर रहा हूं। गरीबों के उत्थान और युवाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण और राष्ट्रवाद के कारण ही देश भर में भाजपा के प्रति सकारात्मक संदेश गया और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में भाजपा का प्रभाव बढ़ रहा है।

**सवाल : नेताओं के बारे में समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो। समाज के श्रेष्ठ लोग राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हो। इसके लिए वर्तमान दौर के नेताओं को क्या करना चाहिए?**

**जवाब :** जो भी नेता समाज में सक्रिय हैं, उन्हें अपना आचरण व्यवहार, कार्य इस प्रकार से करना होगा कि युवा उन्हें देख उनकी राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। यदि नेता का चरित्र, व्यवहार और कार्यशैली ठीक नहीं है तो समाज में नकारात्मक संदेश जाता है और श्रेष्ठ लोग राजनीति में आने से कतराने लगेंगे। नेताओं को चाहिए कि समाज के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत करें जिससे कि समाज की सज्जन शक्ति राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय हों।

**सवाल : हरियाणावी समाज काफी सहिष्णु रहा है, लेकिन गत दिनों यहां लव जेहाद की घटनाएं बढ़ी हैं। इन घटनाओं को आप सद्गुण विकृति के तौर पर देख रहे हैं या समाज विरोधी ताकतों के षड्यंत्र की बू आती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए समाज और सरकार की भूमिका क्या रहनी चाहिए?**

**जवाब :** लव जेहाद की बात आज से नहीं, अरसे से जारी है। जब हम 10-15 वर्ष पूर्व इस समस्या को उठाते थे तो कुछ लोग इसे संघ वालों का प्रोपगेंडा बताते थे। आज जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आने लगी हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाने की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए सख्त कानून भी बनना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति मासूम कन्याओं की जिंदगी से खिलवाड़ न कर सके। शादी के लिए लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना जघन्य अपराध है। इस समस्या के समाधान के लिए समाज को भी आगे आना चाहिए तथा पर्याप्त जागरूकता लानी होगी। ■

**आप हरियाणा की विधान पालिका के मुखिया हैं। लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय होते हैं। क्या इससे आगे की भी कोई आदर्श स्थित संभव है? क्या आपको लगता है कि ऐसा दौर भी आएगा कि विकास के मसलों और समाज हित के विषयों पर आपसी सहमति बना करेगी?**

**जवाब** आप बहुत ही आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का अर्थ है कि समस्याओं के समाधान के लिए हम सभी एक होकर काम करें। इसके लिए चाहे कोई विधान सभा के अंदर है या बाहर है। सब मिलजुल कर जो चर्चा करें और चर्चा के पश्चात जो निर्णय हो उसका सभी सम्मान करें। विधान सभा के अंदर संकीर्ण राजनीति न होकर सेवा की भावना परिलक्षित हो। जनता की सेवा और आम आदमी से जुड़े मुद्दों की बात करें। इन मसलों पर सर्वसम्मति से विचार हो तो आदर्श स्थिति होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं।

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र

## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 19 व 20

श्री दुष्यंत चौटाला
उप-मुख्य मन्त्री, हरियाणा

**पहले**

### पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम-1961

**अब**

### पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक-2020

**संक्षिप्त नाम।**

1. यह अधिनियम पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 2 का संशोधन।

2. पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

(i) खण्ड (खख) में, ''मनीमाजरा खण्ड'', शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा;

(ii) खण्ड (छ) में,-

(क) उप-खण्ड (4) में, ''पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952, की धारा 3 के खण्ड (डडड)'', शब्दों, चिह्नों तथा अंकों के स्थान पर, ''हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड

(Iiv) '', शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) मद (i) का लोप कर दिया जाएगा।

1961 के पंजाब अधिनियम 18 की धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) में, ''ऐसी दर पर, जो पांच हजार रुपये से कम और दस हजार रुपये से अधिक न हो'', शब्दों के स्थान पर, ''ऐसी दर पर, जो अधिक्रमित भूमि की चालू कलक्टर दर के दस प्रतिशत के बराबर कुल शास्ति राशि की अधिकतम सीमा सहित प्रति एकड़ प्रति वर्ष भूमि की कलक्टर दर का एक प्रतिशत'', शब्द प्रति स्थापित किए जाएंगे।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा उस क्षेत्र के नाम का लोपन किया जाता है जो हरियाणा राज्य का भाग नहीं है और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दी गई सभा क्षेत्र की परिभाषा को शामिल किया जाता है क्योंकि पहले से दी गई परिभाषा लुप्तप्रायः हो चुकी है। यह भी आवश्यक समझा गया कि जुर्माने को प्रभावी निवारक बनाने के लिए जुर्माने को बढ़ाया जाए और इसे शामलात देह भूमि पर नाजायज कब्जे की दशा में जुर्माना राशि को भूमि के मूल्य के साथ लिंक किया जाए। इसके आगे अपवाद खण्ड की गलत व्याख्या से बचने के लिए पंजाब अधिनियम संख्या 18 ऑफ 1961 की धारा 2(छ) की मद (i) को लोपित किया जाना आवश्यक है। ■

**पहले** | **हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम-1986**

**अब** | **हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक-2020**

1. यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है ।

2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप-धारा (1) में,-(i) पाँचवें परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ii) पांचवें परन्तु क के बाद, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

''परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खंड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित केवल सब्जियों तथा फलों पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी ।''।

3. (1) हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जो कोविड-19 के बीच लॉकडाउन के कारण गिर गई है, को गति देने के लिए अधिसूचित मार्किट क्षेत्र में खरीदने या बेचने या प्रसंस्करण के लिए लाई गई सब्जियों व फलों के बिक्री मूल्य पर 1 प्रतिशत की दर से मूल्यानुरूप के आधार पर ग्रामीण विकास शुल्क लगाया जाना प्रस्तावित है। ■

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र

## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 21

श्री अनिल विज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

**पहले**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम-2016**

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

   (2) यह 21 अप्रैल, 2016 से लागू हुआ समझा जाएगा। 2016 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 की धारा 4 में,-

   (i) उप-धारा (1) में, "तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, "पाँच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

   (ii) उप-धारा (2) में, "तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, "पाँच वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

**अब**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक-2020**

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 पालिका सीमाओं में पड़ने वाले उन क्षेत्रों को पहचानने के लिये अधिनियमित किया गया था जहां 31.3.2015 से पूर्व 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण किया जा चुका है को नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों का नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया जाना है। इस अधिनियम की धारा 4 'प्रवर्तन अस्थगित रखना' एक वर्ष की अवधि के लिए थी, जो 20.04.2017 तक थी। इस विभाग द्वारा एक साल की वैधता के अन्तराल में निम्नलिखित कार्य किये गयेः

क. नगरपालिकाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए पत्र दिनांक 10.7.2015 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए।

ख. इस प्रक्रिया को ज्ञापन दिनांक 16.09.2016,18.11.2016 तथा 26.12.2016 द्वारा परिचालित किया गया (जिस पर ज्ञापन दिनांक 08.08.2017 द्वारा रोक लगा दी गई)।

ग. आदेश दिनांक 04.10.2016 द्वारा विकास शुल्क जारी किए गए, (जिस पर ज्ञापन दिनांक 21.10.2016 के द्वारा रोक लगा दी गई )।

2. चूंकि अनधिकृत कॉलोनियों को घोषित करने की प्रक्रिया एक साल में पूर्ण नहीं हो सकी, इसलिए अधिनियम में एक साल की अवधि को दो साल का संशोधन अधिसूचना 23.11.2017 द्वारा किया गया था। उपरोक्त अधिनियम की वैधता दिनांक 20.04.2018 तक थी।

क. इसके उपरांत राज्य में पालिका सीमाओं के अर्न्तगत ऐसे नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्रों के सर्वे की प्रक्रिया आरम्भ कर दी। कुल 982 कॉलोनियों के प्रस्ताव 80 नगर पालिकाओं से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 528 प्रस्ताव योग्य पाये गये हैं।

ख. गुरुग्राम की 15 कॉलोनियां तथा फरीदाबाद की 9 कॉलोनियों को इस अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 06.12.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया।

3. इस बीच, अनधिकृत कॉलोनियों की घोषणा के सम्बन्ध में कार्रवाई दो वर्षों के अन्दर पूरी नहीं की जा सकी, इसलिए अधिनियम में एक और संशोधन करवाते हुए समय सीमा को 'दो वर्ष' से 'तीन वर्ष', अधिसूचना दिनांक 19.04.2018 द्वारा बढ़ाया गया। उक्त संशोधन के अनुसार अधिनियम दिनांक 20.04.2019 तक वैध है।

क. इसके बाद नगर निगम, गुरुग्राम और फरीदाबाद की 17 कॉलोनियों, अन्य नगर निगमों की 343 कॉलोनियों, नगर परिषदों की 106 कॉलोनियों और नगरपालिकाओं की 181 कॉलोनियों को आज तक अधिसूचित किया गया है।

ख. दिनांक 27.09.2018 को विकास शुल्क जारी किये गये हैं।

4. उक्त अधिनियम की वैधता को चार वर्षों तक बढ़ाने का संशोधन 21.04.2016 से 20.04.2020 तक, विभाग द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया गया और उसी को विधान सभा द्वारा अनुमोदित भी किया गया, लेकिन अज्ञात कारणों के कारण इसे अधिसूचित नहीं किया जा सका।

5. 21.04.2019 से 20.04.2020 की अवधि के दौरान, विभाग ने 15 कॉलोनियों की अधिसूचनाएं दिनांक 18.06.2019, 10.09.2019, 17.01.2020 अधिसूचित कीं और विभिन्न निर्देशों को भी जारी किया। चूंकि, संशोधन को अधिसूचित नहीं किया जा सका है, इसलिए अधिनियम की वैधता का विस्तार करना आवश्यक है।

6. इसके अलावा, वर्तमान में लगभग 15 कॉलोनियां हैं, जिनके लिए नगर पालिकाओं से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिन्हें अभी उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाना है, जिसके लिए भी अधिनियम की वैधता को विस्तारित करना आवश्यक है।

7. कॉलोनियों की घोषणा से सम्बन्धित सभी कार्रवाई वैधता अवधि के अन्दर पूरी की जानी है, लेकिन यह देखते हुए कि कुछ कॉलोनियों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, जिनमें अधिनियम में निर्दिष्ट वैध अवधि से अधिक समय लगेगा, इसलिए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 4 में तथित समय अवधि को बढ़ाया जाना है। अतः यह प्रस्तावित है कि इस अधिनियम के अनुभाग 4(1) तथा 4(2) में शब्दों 'तीन साल', को शब्दों 'पांच साल' से बदल दिया जाये ताकि ऐसे योग्य क्षेत्रों को नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित करने के लिये दो साल उपलब्ध करवाया जा सके तथा इन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधायें प्रदान की जा सके। ■

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र
## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 22

श्री रणजीत सिंह,
बिजली मंत्री, हरियाणा

**पहले**

### हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम-2008

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। 2008 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 2 का संशोधन।
2. हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम, 2008 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :- (कक) 'आपात बचाव यन्त्र" से अभिप्राय है, इलेक्ट्रोनिक तथा विद्युत यन्त्र, जो गगनचुंबी भवनों में बिजली की खराबी/ठप्प हो जाने की दशा में तथा लिफ्टस को उतरने, रोकने तथा किसी भी मंजिल पर लिफ्ट केज डोर के खुलने में पर्याप्त बैक-अप देता है तथा विस्तारित समय जो कम से कम पन्द्रह मिनट होगा, तक नियमित संचालन में रहता है, लिफ्ट को बिजली की 3-फेस आपूर्ति प्रदान करता है ;''। 2008 के हरियाणा अधिनियम 27 की धारा 5 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
5. आपात बचाव यंत्र तथा स्वचालित बचत यंत्र -(1) स्वामी बिजली आपूर्ति ठप्प होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट रोकने तथा उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर को खोलने के लिए ग्रुप हाऊसिंग, घरेलू या किसी अन्य भवन को छोड़कर पंद्रह मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले गगनचुंबी भवन के लिए आपात बचाव यंत्र को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करेगा। (2) स्वामी को बिजली आपूर्ति ठप्प होने की दशा में यात्रा कर रहे यात्रियों के बचाव के लिए लिफ्ट को नजदीकी किसी मंजिल पर लाने, लिफ्ट को रोकने, लिफ्ट से उतरते समय ध्यान रखने तथा लिफ्ट केज डोर खोलने, जैसी भी स्थिति हो, पंद्रह मीटर से कम ऊंचाई वाले ग्रुप हाऊसिंग भवन, घरेलू या किसी अन्य भवन के लिए स्वचालित बचाव यंत्र तथा आपात बचाव यंत्र की व्यवस्था करने का विकल्प होगा।

**अब**

### हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम, (संशोधन) विधेयक-2020

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा लिफ्टस तथा एस्केलेटर अधिनियम, 2008 की धारा 2 और धारा 5 में संशोधन आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए, जब बिजली की आपूर्ति अचानक बंद हो जाती है तो लिफ्ट में फंसने से बचाने के लिए आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 5 में तत्कालीन प्रावधान के अनुसार लिफ्टों में बिजली आपूर्ति ठप होने की स्थिति में लिफ्ट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए स्वाचालित बचाव यंत्र का उपयोग अनिवार्य है। इस मामले की जॉंच की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि जब बिजली निकासी होती है तो लिफ्ट एक झटके के साथ तुरन्त दो मंजिलों के बीच में रोक जाती है और फिर 10-15 सैकेंड के बाद ए आर डी काम करता है और लिफ्ट केज नजदीकी मंजिल पर लाकर दरवाजे खोल देता है। आपातकालीन बचाव यन्त्र पर्याप्त बैकअप देगा तथा लिफ्ट केज के दरवाजों को किसी भी मंजिल पर खोलेगा और 15 मिनट विस्तारित समय तक नियमित संचालन में रखेगा। इसलिए विशेष रूप से जान व माल की सुरक्षा के लिए समस्या से निपटने के लिए 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली ऊंची इमारतों में स्वाचालित बचाव यंत्र के स्थान पर आपातकालीन बचाव यंत्र का उपयोग बेहतर विकल्प होगा। ■

मृत अतीत को दफना दो, अनन्त भविष्य तुम्हारे सामने है और स्मरण रखो कि प्रत्येक शब्द, विचार और कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है।- विवेकानन्द

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र
## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 23

श्री अनिल विज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

**पहले**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम-2016**

**अब**

**हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख-सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबन्ध) संशोधन विधेयक-2020**

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 4 का संशोधन।
2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप-धारा (4) के परन्तुक में, ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष तथा छह मास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे। 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 164 के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:- ‘'(गक) प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति किसी सामाजिक, धार्मिक या धर्मार्थ संस्था, न्यास या सामाजिक संस्था को बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती है, निम्न अनुसार होगाः-

| क्रम संख्या | सुविधा का स्वरूप | क्षेत्र | बिक्री की अनन्तिम दर |
|---|---|---|---|
| | धार्मिक स्थल - पूजा (मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च इत्यादि) के प्रयोजन के लिए तथा सामुदायिक धर्मशालाओं, जंजघर, बरातघर या सामुदायिक केन्द्रों, इत्यादि के लिए नगर निगम की भूमि। | 3000 वर्ग मीटर तक | (i) 2000 वर्ग मीटर तक, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत।<br>(ii) 2000-3000 वर्ग मीटर के लिए, कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 100 प्रतिशत। |
| | नन्दीशाला, गोशाला या आवारा पशु यार्ड। | 5 एकड़ तक | कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत। |

परन्तु सम्पत्ति, ऐसे प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।''।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 421 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 421 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 अक्तूबर, 2018 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-
“(3) हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा। हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित की जाती रहेंगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. 1) हरियाणा नगर निगम ( संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) तथा हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी। ■

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) में उपबन्धित के अनुसार नव गठित नगर निगम का प्रथम चुनाव इसके गठन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाना है। नगर निगम, सोनीपत का गठन सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.07.2015 द्वारा किया गया था। कथित उपबन्ध के अनुसार नगर निगम, सोनीपत का चुनाव दिनांक 05.07.2020 तक कराया जाना अपेक्षित था, किन्तु कोविड-19 महामारी के कारण इस नगर निगम का चुनाव दिनांक 05.07.2020 तक नहीं कराया जा सका है। मामले में किसी कानूनी उलझन से बचने के लिए यह प्रस्तावित किया जाता है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) के उपबन्ध में संशोधन करके नगर निगम के गठन की तिथि से पांच वर्ष तथा छह माह के भीतर नए-गठित नगर निगम का चुनाव कराने के लिए सरकार को समर्थ बनाया जाये।

2. (i) हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में सामाजिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक हस्तियों को नगर निगम की भूमि का आबंटन करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं को नगर निगम की भूमि का आवंटन करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 के अधीन कोई भी नियम/नीति नहीं बनाई गई है। वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति राज्य सरकार के स्तर पर गठित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस सम्बन्ध में एक नीति सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक समस्याओं के प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन करने हेतु राजस्व तथा प्रबन्धन विभाग द्वारा बनाई जाएगी तथा अन्य सम्बन्धित विभाग इनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने विभागों के लिए नीति बनाने के लिए आगामी कार्रवाई कर सकते हैं।

(ii) शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राजस्व विभाग द्वारा बनाई गई दिनांक 12.02.2019 की नीति के समतुल्य नीति भी बनाई है। उसके अतिरिक्त नंदीशाला/गऊशाला तथा आवारा पशु प्रांगण को पांच एकड़ तक भूमि आंबटित करने का प्रावधान भी शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति में किया गया है। इस सम्बन्ध में 'हरियाणा नगरपालिका सम्पत्ति तथा राज्य सम्पत्ति नियम, 2020' में संशोधन नियम 4(क), 4(ख), 4(ग) तथा 4(घ) के अतिरिक्त नियम प्रक्रिया में है जो कि केवल नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में लागू है। अतः सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, संस्था, न्यास तथा सामाजिक संस्थाओं को आबंटन हेतु नगर निगम भूमि के लिये समरूप प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। इसलिये, विभाग अधिनियम, 1994 की धारा 164 की उपधारा (प) के खण्ड (ग) के ठीक बाद तथा खण्ड (घ) से ठीक पूर्व धारा 164 की उपधारा (प) के खण्ड (ग क) रखते हुए अधिनियम, 1994 की धारा 164 के उपबन्ध में संशोधन करता है।

3. हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया था तथा दिनांक 04.10.2018 को प्रकाशित किया गया था। एक निकटवर्ती समरूप अधिनियम नामतः हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया था जो प्रकाशित हुआ है तथा दिनांक 04.09.2019 को लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा उपबन्धित किया गया था कि नगर पालिका में सभी सीटें (हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के अधीन (जिसे, इसमें, इसके बाद अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) जिसमें अध्यक्ष सीधे निर्वाचन द्वारा चुने व्यक्ति द्वारा भरी जायेगी, शामिल है। अधिनियम को धारा 21 जो कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिये उपबन्धित है, भी संशोधित की गई थी तथा अब अध्यक्ष को नगरपालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से हटाया नहीं जा सकता। इस संशोधन अधिनियम के दृष्टिगत नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में भी आनुषंगिक संशोधन भी किए गए हैं।

तथापि, संशोधन अधिनियम, 2019 इस संशोधन अधिनियम से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के अनुसार नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में लगभग परिवर्ती उपबन्ध मौन थे। संशोधन से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के निरसन तथा व्यावृत्ति तथा उन व्यक्तियों को जो संशोधन से पहले निर्वाचित हुए हैं उनके निलम्बन, हटाए जाने या ऐसे सीधे रूप से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा रिक्त की गई रिक्तियों को भरने के बारे में कैसे शासित किया जाना है, इस संशोधन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब, बहुत से मामले न्यायालय में आ रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नगर पालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा उनमें से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के सम्बन्ध में संशोधन से पहले या बाद में शुरू की गई थी। सिविल याचिका संख्या 9434/2020 शीर्षक सीमा रानी, अध्यक्ष, नगर पालिका, जाखल मण्डी बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य में दिनांक 13.07.2020 को दिये गये निर्णय में न्यायालय ने अवलोकन किया है कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में कोई भी व्यावृत्ति खण्ड नहीं है जो पूर्व संशोधित उपबन्धों में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करती हो। तदानुसार न्यायालय ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगर पालिका समिति की बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त के आदेश को खण्डित कर दिया है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में नगर निगमों के मेयरों के मामले में हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के रूप में समरूप प्रावधान किए गये थे। सुरक्षित पहलु के लिए एक अध्यादेश विधि एवं विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज. 23/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रख्यापित किया गया है, जिसके द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 421 में दिये गये निरसन तथा व्यावृत्ति उपबन्ध के लिये उपधारा (3) इस आशय के लिये जोड़ी गई है कि संशोधित अधिनियम के लागू होने से पहले मेयर के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्वाचन, हटाये जाने या निलम्बन के लिये हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुए भी हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व विद्यमान असंशोधित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित किए जाते रहेंगे। इसलिये, अब, अध्यादेश को विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये विधेयक में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। ■

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र
## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 24

श्री अनिल विज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

| पहले | अब |
|---|---|
| हरियाणा नगरपालिका अधिनियम- 1973 | हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक-2020 |

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा
2क का संशोधन।

2. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2क की उप-धारा (1) में,-

(i) खण्ड (ii) में, अन्त में विद्यमान "; और" चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, ":'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:- "परन्तु किसी जिला मुख्यालय पर विद्यमान/स्थापित नगरपालिका, इसकी जनसंख्या पर विचार किए बिना नगर परिषद् होगी ;''।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 में धारा 98क का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 98 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"98क. संपत्तियों के करस्थम्/कुर्की तथा विक्रय द्वारा बकायों की वसूली.-इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतान योग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क के बकाया के कारण किसी राशि या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतान योग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि के कारण बकाया ऐसी राशि की वसूली निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा की जा सकती है:-

(i) व्यतिक्रमी की चल संपत्ति के करस्थम् तथा विक्रय द्वारा ;

(ii) व्यतिक्रमी की अचल संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा।

व्याख्या.- 'वस्तुतः इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों के अधीन भुगतान योग्य कर या फीस या प्रभार या उपशुल्क या समिति द्वारा दावा की गई किसी अन्य धनराशि की वसूली के लिए उपबन्धित कोई अन्य प्रक्रिया संस्थित की गई है, तो इस धारा के अधीन उपबन्धित वसूली प्रक्रिया संस्थित करने के लिए वर्जित नहीं होगी और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित प्रक्रिया साथ-साथ की जा सकती है।

1973 के हरियाणा अधिनियम 24 की धारा 279 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 279 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 सितम्बर, 2019 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात्:-

"(3) हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद/पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शसित की जाती रहेंगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी। ■

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

1. इस समय, हरियाणा राज्य में 22 जिलें स्थापित हैं तथा 21 जिलों में उनके जिला मुख्यालय पर या तो नगर निगम या नगर परिषद अस्तित्व में हैं, जबकि नूंह के जिला मुख्यालय पर नगरपालिका अस्तित्व में है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में उपबन्धित अनुसार नगर परिषद घोषित करने के लिए कम से कम 50 हजार की जनसंख्या अपेक्षित है। जनगणना-2011 के अनुसार नूंह की जनसंख्या 16260 है तथा इसकी वर्तमान जनसंख्या 24390 तक पहुंच गई है। जिला मुख्यालय, नूंह में किए जाने वाले विकास कार्यों की गति बढाने तथा निवासियों को बेहतर नागरिक सुख-सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस जिला मुख्यालय पर नगर परिषद् होनी आवश्यक है। नगर परिषद के गठन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों का समूह कथित प्रयोजन के लिए स्वतः उपलब्ध होगा। इसलिए, नगरपालिका, नूंह को नगर परिषद के रूप में घोषित करने के प्रयोजन के लिए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 2क में संशोधन किया जाना है।
2. नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्त्रोत कर, फीस, प्रभार या उपकर से उत्पन्न होता है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 में सम्पत्ति धारकों से उद्ग्रहणीय करों या फीसों की वसूली का ढंग विहित है। जबकि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 130 के खण्ड (ii) तथा (iii) में यथा उपबन्धित वसूली के ढंग का प्रावधान नहीं है। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 में ऐसे उपबन्धों की अनुपलब्धता के कारण कर दाताओं के विरुद्ध लम्बित विशाल राशि को कारगर रूप से तथा दक्ष रूप से वसूल नहीं किया जा सकता। ये उपबन्ध निश्चित रूप से करों या फीसों या प्रभारों या उपकर की देय राशि वसूल करने के लिए नगर परिषद/पालिकाओं की सहायता करेंगे। इसलिए, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में उपलब्ध वसूली के पूर्वोक्त ढंग को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 98 के ठीक पश्चात तथा धारा 99 के ठीक पूर्व धारा 98क के रूप में सम्मिलित किया जाना है।
3. हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा अधिनियमित किया गया है तथा प्रकाशित किया गया है जो दिनांक 04.09.2019 से लागू हुआ है। इस संशोधन अधिनियम द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि अध्यक्ष सहित पालिकाओं में सभी सीटें सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरी जायेंगी। अधिनियम की धारा 21 जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए उपबन्ध करती है, को भी संशोधित किया गया है तथा अब अध्यक्ष को नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जा सकता। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नगरपरिषदों/नगरपालिकाओं के अध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में भी आनुषंगिक संशोधन किए गए है। तथापि, संशोधन अधिनियम, 2019 इस संशोधन अधिनियम से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के अनुसार नगरपालिकाओं के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के बारे में लगभग परिवर्ती उपबन्ध मौन है। संशोधन से पूर्व विद्यमान उपबन्धों के निरसन तथा व्यावृत्ति तथा उन व्यक्तियों को जो संशोधन से पहले निर्वाचित हुए हैं उनके निलम्बन, हटाए जाने या ऐसे सीधे रूप से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा रिक्त की गई रिक्तियों को भरने के बारे में कैसे शासित किया जाना है, इस संशोधन में कुछ भी नहीं बताया गया है। अब, बहुत से मामले न्यायालय में आ रहे हैं, जहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्रक्रिया नगर पालिकाओं के अन्य सदस्यों द्वारा अपने आप में से सीधे रूप में निर्वाचित पालिकाओं के अध्यक्ष के सम्बन्ध में संशोधन से पहले या बाद में शुरू की गई थी। सिविल याचिका संख्या 9434 आफ 2020 शीर्षक सीमा रानी, अध्यक्ष, नगर पालिका, जाखल मण्डी बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य में दिनांक 13.07.2020 को दिये गये निर्णय में माननीय न्यायालय ने अवलोकन किया है कि हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में कोई भी व्यावृत्ति खण्ड नहीं है जो पूर्व संशोधित उपबन्धों में अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों की स्थिति पर विचार करती हो। तदानुसार न्यायालय ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए नगर पालिका की बैठक बुलाने के लिए उपायुक्त के आदेश को खण्डित कर दिया है।

अब हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व निर्वाचित अध्यक्षों के विरुद्ध नगर पालिकाओं के सदस्यों द्वारा शुरू की गई अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई के सम्बन्ध में समरूप दलील उठाई जा रही है। अधिनियम में अध्यक्ष का पद कैसे भरा जाना है, यदि ऐसे व्यक्तियों को उसके पद से हटाया गया है, के सम्बन्ध में कमी भी है।

हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा कथित संशोधन करने के इस प्रकार के परिणाम के पीछे न तो उद्देश्यी था तथा न ही इरादा था। नगर पालिकाओं के अध्यक्ष जो सीधे निर्वाचन के रूप में भविष्य में निर्वाचित किए जाने थे, पर केवल संशोधित उपबन्ध लागू करने का इरादा था। हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व इस मामले में सीधे रूप से निर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 के असंशोधित उपबन्धों द्वारा शासित किए जाने थे जो हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे।

त्रुटि जो हो गई दिखाई देती है को सुधारने के लिए एक अध्यादेश विधि तथा विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या लैज-22/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा प्रख्यापित किया गया है जिसके द्वारा हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 279 में दिए गए निरसन तथा व्यावृत्ति उपबन्धों में इस आषय के लिए उपधारा (3) जोड़ी गई है कि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति, निर्वाचन, हटाया जाना या निलम्बन हरियाणा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 में वर्णित प्रावधान के होते हुए भी हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पूर्व विद्यमान असंशोधित अधिनियम के उपबन्धों द्वारा शासित होने जारी रहेंगे। इसलिए, अब, अध्यादेश के उपबन्धों को हरियाणा विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विधेयक में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। ■

# हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र
## में 26 अगस्त 2020 को पारित विधेयक संख्या 25

**पहले**

**हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम- 2009**

**अब**

**हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक-2020**

श्री अनिल विज
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) यह 17 अगस्त, 2020 से लागू हुआ समझा जाएगा।

2009 के हरियाणा अधिनियम 12 की धारा 15 का संशोधन।

2. हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 की धारा 15 की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

'(1) आवासीय प्रयोजन से भिन्न या आवासीय प्लाट पर प्रस्तावित ऊंचाई में 16.5 मीटर से अधिक के किसी आवासीय भवन के किसी प्रयोजन के लिए या प्रस्तावित ऊंचाई में 15 मीटर से अधिक जैसे ग्रुप हाउसिंग, बहु-मंजिल फ्लैट्स, वॉक-अप अपार्टमेंट इत्यादि, के अन्य आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले किसी भवन के निर्माण को प्रस्तावित करने वाला कोई व्यक्ति निर्माण के प्रारम्भ से पूर्व, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) तथा पंजाब कारखाना नियम, 1952 के अनुरूप अग्निशामक स्कीम के अनुमोदन तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के साथ ऐसे प्ररूप में अनापत्ति प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए आवेदन करेगा।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 5), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

### उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

विधि और विधायी विभाग द्वारा अध्यादेश संख्या 21/2020, दिनांक 17.08.2020 द्वारा रिहायशी उद्देश्य के लिए 16.5 मीटर ऊंचाई तक के चार-मंजिलों हेतु रिहायशी प्लॉटों पर से छूट प्रदान करने अग्निशमन योजनाओं और अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए हरियाणा अग्निशमन अधिनियम, 2009 की धारा-15 में संशोधन जारी किया गया है। हरियाणा अग्निशमन अधिनियम, 2009 की धारा-15 की प्रतिस्थापित उप-धारा-

(1) इस प्रकार है:-

''कोई भी व्यक्ति आवासीय उद्देश्य या 16.5 मीटर से अधिक के आवासीय भवन के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव करता है और 15 मीटर से अधिक के अन्य आवासीय प्रयोजनों के लिए भूखण्ड पर प्रस्तावित उंचाई में, जैसाकि ग्रुप हाउसिंग, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक-अप अपार्टमेंट आदि निर्माण शुरू होने से पहले, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, के अनुरूप अग्निशमन योजना की मंजूरी के लिए आवेदन करेंगे जोकि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 53), कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) और पंजाब कारखाना नियम, 1952 के मापदण्ड के अनुरूप हो और अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुल्क निर्धारित किया गया हो ।'

2. उपरोक्त प्रावधान नगर नियोजन विभाग, हरियाणा द्वारा हरियाणा भवन संहिता, 2017 में पहले ही किया जा चुका है और शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवा, हरियाणा, पंचकूला विभाग को अग्निशमन विभाग के सम्बद्ध अधिनियम एवं नियमों में कथित प्रावधान करने के लिए अनुरोध किया गया था।

3. अतः हरियाणा अग्निशमन सेवाएं अधिनियिम, 2009 की धारा 15 की उप-धारा (1) को प्रतिस्थापित करने हेतु विधि एवं विधायी विभाग द्वारा जारी अध्यादेश संख्या 21/2020, दिनांक 17.08.2020 को परिवर्तित करने हेतु बिल विधान सभा सदन के समक्ष विचार और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है । ■

क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति-भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। - श्रीमद्भगवद् गीता 2/63

# भारतीय विधान-परिषद्

***शुक्रवार, 13 दिसम्बर वर्ष 1946 ई. भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रात: 11 बजे प्रारम्भ हुई। चेयरमैन माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने सभापति का आसन ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही का संचालन करते हुए कहा कि अब पं. जवाहरलाल नेहरू वह प्रस्ताव पेश करेंगे, जो उनके नाम से है। सदन संदेश के स्थायी कॉलम 'संविधान संकल्पना' में प्रस्तुत है पं. जवाहरलाल नेहरू जी के उसी भाषण का अंश:-***

साहेब सदर, कई दिनों से यह कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली अपनी कार्यवाही कर रही है। अभी तक कुछ जाब्ते की कार्यवाही हुई है और अभी और जाब्ते की कार्यवाही बाकी है। हम अपना रास्ता साफ कर रहे हैं ताकी आइन्दा उस साफ जमीन पर विधान की इमारत खड़ी करें। यह जरूरी काम था लेकिन मुनासिब है कि कब्ल इसके कि हम और आगे बढ़ें इस बात को साफ कर दें कि हम किधर जाना चाहते है, हम देखते किधर हैं और कैसी इमारत हम खड़ी करना चाहते हैं। जाहिर है कि ऐसे मौकों पर किसी तफसील में जाना मुनासिब नहीं होगा। वह तो आप बहुत गौर करके इस इमारत की एक-एक ईंट और पत्थर लगायेंगे। लेकिन जब कोई इमारत बनाई जाती है तो उसके पहले कुछ-कुछ नक्शा दिमाग में मौजूद होता है और ईंट-पत्थर जमा किये जाते हैं। हमारे दिमागों में एक जमाने से आजाद हिन्दुस्तान के तरह-तरह के नक्शे रहे हैं। लेकिन अब जब कि हम इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली का काम शुरू कर रहे हैं तो मुझे यह जरूरी मालूम होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसको मंजूर करेंगे कि इस नक्शे को हम जरा ज्यादा जाब्ते से अपने सामने, हिन्दुस्तान के लोगों के सामने और दुनिया के लोगों के सामने रखें। चुनांचे जो रिजोलयूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। वह इस तरह के एक मक्सद को साफ करने का, कुछ थोड़ा-सा नक्शा बतलाने का कि किधर हम देखते हैं, और किस रास्ते पर हम चलेंगे, मजमून का है।

आप जानते हैं कि यह जो कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली है, बिल्कुल उस किस्म की नहीं है जैसा कि हममें से बहुत से लोग चाहते थे। खास हालत में यह पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शरायत भी इसमें उन्होंने लगाई। हमने बहुत गौर के बाद उस बयान को, जो कि इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली की बनियाद-सा है, मंजूर किया है। हमारी कोशिश रही है और रहेगी कि जहां तक मुमकिन हो हम उसे उन हदों में चलायें, लेकिन इसके साथ आप

याद रखें कि आखिर इस कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली के पीछे क्या ताकत है और किस चीज ने इसको बनाया है।

ऐसी चीजें हुकूमतों के बयानों से नहीं बनती हैं। हुकूमत के जो बयान होते हैं, वे किसी ताकत की और किसी मजबूरी की तरजुमानी करते हैं और अगर हम यहां मिले हैं तो हिन्दुस्तान के लोंगो की ताकत से मिले हैं। जो बात हम करें, उसी दर्जे तक कर सकते हैं, जितनी कि उसके पीछे हिन्दुस्तान के लोगों की ताकत और मंजूरी हो-कुल हिन्दुस्तानी के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनांचे हमारी निगाह कर वक्त हिन्दुस्तान के उन करोड़ों आदमियों की तरफ होगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जज्बात हों उनका तर्जुमा हम इस विधान में करें। हमको अफसोस है कि इस असेम्बली के अक्सर मेम्बरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं हैं। इससे हमारी एक मानी में जिम्मेदार बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो औरों को तकलीफ पहुंचाये, या जो बिलकुल किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वे जल्द शरीक हो जायेंगे और वे भी इस आईन के बनाने में पूरा हिस्सा लेंगे, क्योंकि आखिर यह आईन उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी ताकत उसके पीछे हो। हम चाहते हैं कि इससे हिन्दुस्तान के सभी लोग सहमत हों और हमारी कोशिश यह रही है और रहेगी कि ऐसी चीज हम बनायें जो कसरत से हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमियों को मंजूर हो और उनके लिए मुफीद हो। उसके साथ यह भी जाहिर है कि जब कोई बड़ा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर चन्द लोगों के या किसी गिरोह के रोकने से वह रूक नहीं सकता। अगरचे यह असेम्बली, बावजूद इसके कि चन्द मेम्बर इसमें शरीक नहीं हैं, बैठी है, ताहम यह अपना काम जारी रखेगी और कोशिश करेगी कि बहर सूरत इस काम को जारी रखे।

यह जो रिजोल्यूशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक घोषणा है, एक ऐलान है जो रिजोल्यूशन की शक्ल में हैं। काफी गौर और फिक्र से यह बनाया गया है। इसके अल्फाज पर गौर किया गया है और कोशिश की गई है कि इसमें कोई ऐसी बात न हो जो खिलाफ समझी जाये और बहुत ज्यादा बहस तलब हो। यह तो जाहिर है कि एक बड़े मुल्क में बहस करने वाले ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कोशिश यही हुई है कि उसमें बहस-मुबाहिसे की बातें कम-से-कम हों। इसमें बुनियादि बातें हो, उसूल की बातें हों, जो कि एक मुल्क आमतौर से पसंद करता है और मंजूर करता है। मैं नहीं समझता कि इस रिजोल्यूशन में कोई ऐसी बात है जो कि अब्वलन इस ब्रिटिश केबिनेट के बयान की हद से बाहर हो, दोयम यह कि कोई भी हिन्दुस्तानी, चाहे वह किसी गिरोह में हो, उसको नामंजूर करे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में बहुत सारे इख्तलाफ हैं लेकिन इन बुनियादी उसूलों में, जो इनमें लिखे हैं, इक्के-दुक्के आदमियों के अलावा कोई इखतलाफ मैं नहीं जानता। इस रिजोल्यूशन का क्या बुनियादी उसूल है। वह यह कि हिन्दुस्तान एक आजाद मुल्क हो-एक सोवरन रिपब्लिक हो। रिपब्लिक लफ्ज का जिक्र हमने अभी तक जाहिर नहीं किया था, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि आजाद हिन्दुस्तान में और हो क्या सकता है। सिवाय रिपब्लिक के कोई रास्ता नहीं है। इसकी एक ही शक्ल है कि हिन्दुस्तान में रिपब्लिक हो।

हिन्दुस्तान की जो रियासतें हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं। क्योंकि इस वक्त खास तौर से रियासतों के नुमाइंदे इसमें शरीक नहीं हैं। यह भी तजबीज हुई है और शायद एक तरमीम की शक्ल में पेश भी हो कि चूंकि बाज लोग यहां मौजूद नहीं हैं, इसीलिए यह रिजोल्यूशन मुलतबी कर दिया जाये।...

## भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा-पत्र

**1** यह विधान-परिषद् भारतवर्ष को एक पूर्ण स्वतंत्र जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गम्भीर संकल्प प्रकट करती है और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाये

**2** जिसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो आज ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अंतर्गत तथा इनके बाहर भी हैं और जो आगे स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होना चाहते हों।

**3** और जिसमें उपर्युक्त सभी प्रदेशों को, जिनकी वर्तमान सीमा चाहे कायम रहे या विधान-सभा और बाद में विधान के नियमानुसार बने या बदले, एक स्वाधीन इकाई या प्रदेश का दर्जा मिलेगा वह रहेगा। उन्हें वे सब शेषाधिकार प्राप्त होंगे व रहेंगे जो संघ को नहीं सौंपे जायेंगे और वे शासन तथा प्रबंध सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिवाय उन अधिकारों और कामों के जो संघ को सौंपे जायेंगे अथवा जो संघ में स्वभावतः निहित या समाविष्ट होंगे या जो उससे फलित होंगे; और

**4** जिसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र भारत तथा उनके अंगभूत प्रदेशों और शासन के सभा अंगों की सारी शक्ति और सत्ता जनता द्वारा प्राप्त होगी; तथा

**5** जिसमें भारत के सभी लोगों (जनता) को राजकीय नियमों और साधारण सदाचार के अनुकूल, निश्चित नियमों के आधार पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के अधिकार, वैयक्तिक स्थिति व सुविधा की तथा मानवी समानता के अधिकार और विचारों की, विचारों को प्रकट करने की, विश्वास व धर्म की, ईश्वरोपासना की, काम-धन्धे की, संघ बनाने व काम करने की स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे और माने जायेंगे; और

**6** जिसमें सभी अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े हुए व कबाइली प्रदेशों के लिए तथा दलित और पिछड़ी हुई जातियों के लिए काफी संरक्षण-विधि रहेगी ; और

**7** जिसके द्वारा इस जनतंत्र के क्षेत्र की अक्षुण्णता (आन्तरिक एकता) रक्षित रहेगी और जल, थल और हवा पर उसके सब अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों के नियमों के अनुसार रक्षित होंगे; और

**8** यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शान्ति तथा मानव जाति का हित-साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। ■

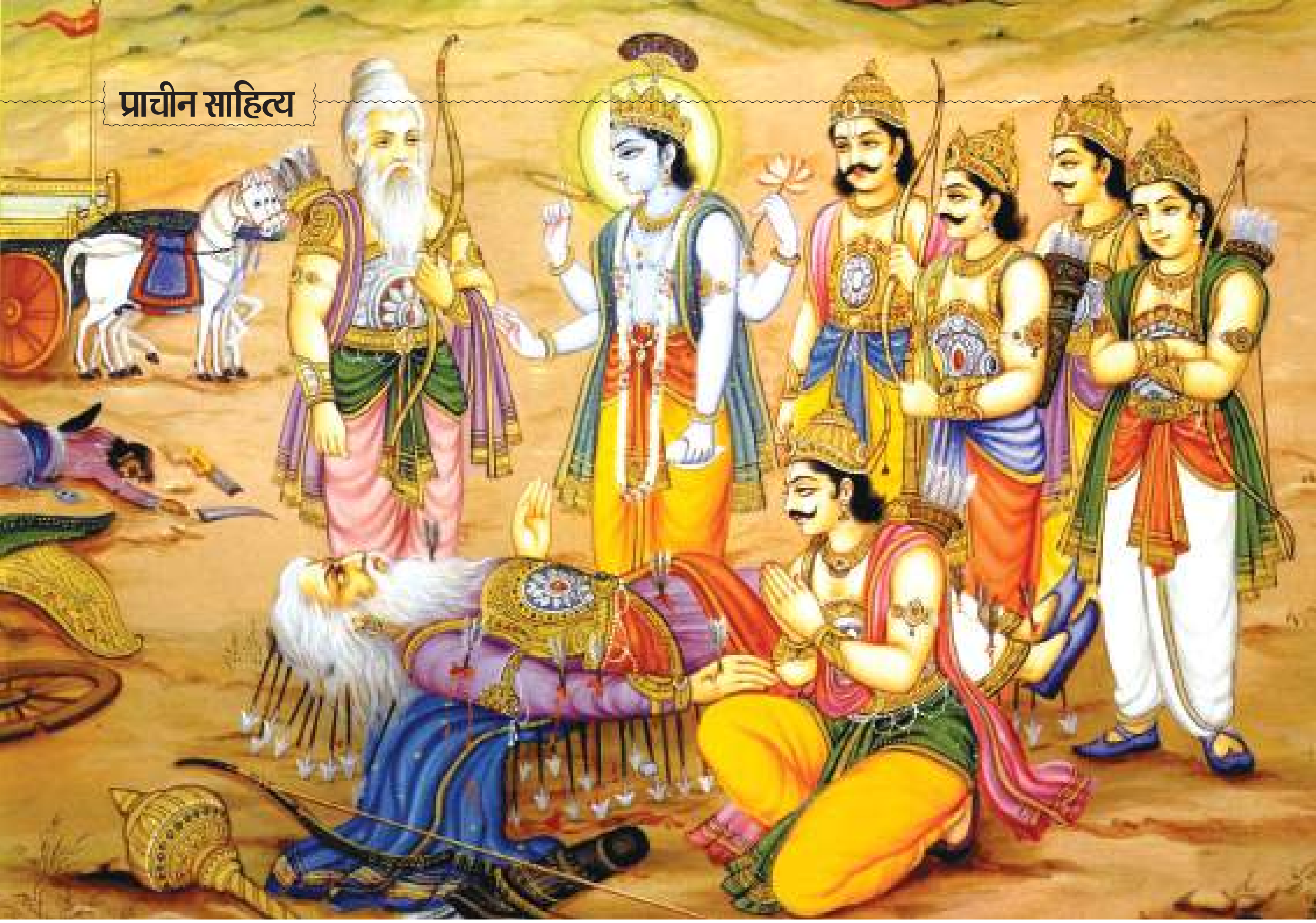

# महाभारत

## राजधर्मानुशासन उपपर्व

प्राचीन भारतीय साहित्य ज्ञान की विपुल संपदा है। मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसे इस साहित्य में स्थान न मिल पाया हो। विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत में राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र की अथाह ज्ञानराशि है। इस महान ग्रंथ के 'शांति पर्व' के अंतर्गत 'राजधर्मानुशासन' उपपर्व में जनता और शासक वर्ग के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन है। प्रसंग उस वक्त का है जब महाभारत युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर पहुंचने पर युधिष्ठिर राजभिषेक करवाने से मना करने लगे थे। तब भगवान श्रीकृष्ण उन्हें पुनः कुरुक्षेत्र ले आए। वहां शरशैय्या पर विराजमान पितामह भीष्म ने उन्हें शासन व्यवस्था संभालने के लिए प्रेरित किया। प्रस्तुत है युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद :

**युधिष्ठिर बोले :**

चातुराश्रम्यमुक्तं ते चातुर्वर्ण्यं तथैव च।
राष्ट्रस्य यत् कृत्यतमं ततो ब्रूहि पितामह।।

**अर्थ : पितामह**! आपने चारों आश्रमों और चारों वर्णों के धर्म बतलाये। अब आप मुझे यह बताइये कि समूचे राष्ट्र का – उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का मुख्य कार्य क्या है।

**पितामह भीष्म बोले :**

राष्ट्रस्यैतत् कृत्यतमम् राज्ञ एवाभिषेचनम्।
अनिन्द्रमबलं राष्ट्रं दस्यतोअभिभवन्त्युत।।

**अर्थ : युधिष्ठिर**! राष्ट्र अथवा राष्ट्रवासी प्रजावर्ग का सबसे प्रधान कार्य यह है कि वह किसी योग्य राजा (शासक) का अभिषेक करे, क्योंकि बिना राजा का राष्ट्र निर्बल होता है। उसे डाकू और लुटेरे लूटते तथा सताते हैं।

अराजकेषु राष्ट्रेषु धर्मो न व्यवतिष्ठते।
परस्परं च खादन्ति सर्वथा धिगराजकम्।।

**अर्थ** : जिन देशों में कोई राजा (शासक) नहीं होता, वहां धर्म की भी स्थिति नहीं रहती है; अतः वहां के लोग एक दूसरे को हड़पने लगते हैं; इसलिये जहां अराजकता हो, उस देश को सर्वथा धिक्कार है।

**युधिष्ठिरः** पार्थिवेन विशेषेण किं कार्यमवशिष्यते।
कथं रक्ष्यो जनपद- कथं जेयाश्रव शत्रवः।।

**अर्थ : पितामह**! राजा (शासक) के द्वारा विशेष रूप से पालन करने योग्य और कौन-सा कार्य शेष है? उसे गांवों की रक्षा कैसे करनी चाहिये और शत्रुओं को किस प्रकार जीवना चाहिये?

कथं चारं प्रयुञ्जीत वर्णान्विश्वासयेत् कथम्।
कथं भृत्यान्कथं दारान्कथं पुत्रांश्व भारत।।

अर्थ : राजा गुप्तचर की नियुक्ति कैसे करे? भारत! वह भृत्यों, स्त्रियों और पुत्रों को भी कैसे कार्य में लगावे? तथा उनके मन में भी किस तरह विश्वास पैदा करें?

**भीष्मः** राजवृत्तं महाराज श्रृणुष्वावहितोअखिलम्।
यत्कार्यं पार्थिवेनादौ पार्थिवप्रकृतेन वा।।

**अर्थ : महाराज**! क्षत्रिय राजा अथवा राज कार्य करने वाले अन्य पुरुष को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिये, वह सारा राजकीय आचार व्यवहार सावधान होकर सुनो।

**आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रवः।**
**अजितात्मा नरपतिर्विजयेत कथं रिपून्।।**

**अर्थ** : राजा को सबसे पहले सदा अपने मन पर विजय प्राप्त करनी चाहिये, उसके बाद शत्रुओं को जीतने की चेष्टा करनी चाहिये। जिस राजा ने अपने मन को नहीं जीता, वह शत्रु पर विजय कैसे पा सकता है।

**एतवानात्मविजयः पञ्चवर्गविनिग्रहः।**
**जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन्।।**

**अर्थ** : श्रोत्र आदि पांचों इन्द्रियों को वश में रखना यही मन पर विजय पाना है। जितेन्द्रिय नरेश ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है।

**न्यसेत गुल्मान्दुर्गेषु सन्धौ च कुरुनन्दन।**
**नगरोपवने चैव पुरोद्यानेषु चैव ह।।**

**अर्थ** : कुरुनन्दन! राजा को किलों में, राज्य की सीमा पर तथा नगर और गांव के बगीचों में सेना रखनी चाहिये।

**संस्थानेषु च सर्वेषु पुरेषु नगरेषु च।**
**मध्ये च नरशार्दूल तथा राजनिवेशने।। 69/7**

अर्थ : नरसिंह! इसी प्रकार सभी पड़ावों पर, बड़े-बड़े गांवों और नगरों में, अन्तःपुर में तथा राज महल के आस पास भी रक्षक सैनिकों की नियुक्ति करनी चाहिये।

**प्रणिधीश्चं ततः कुर्याज्ज डान्धबधिराकृतीन्।**
**पुंसः परीक्षितान्प्राज्ञान्क्षुत्पिपासाश्रमक्षमान्।।**

**अर्थ** : तदनन्तर जिन लोगों की अच्छी तरह परीक्षा कर ली गयी हो, जो बुद्धिमान होने पर भी देखने में गूंगे, अंधे और बहरे-से जान पड़ते हों तथा जो भूख-प्यास और परिश्रम सहने की शक्ति रखते हों, ऐसे लोगों को ही गुप्तचर बनाकर आवश्यक कार्यों में नियुक्त करना चाहिए।

**वर्जनीयं सदा युद्धं राज्यकामेन धीमता।**
**उपायैस्त्रिभिरादानमर्थस्याह बृहस्पतिः।।**
**सान्त्वेन तु प्रदानेन भेदेन च नराधिप।**
**यदर्थं शक्नुयात्प्राप्तुं तेन तुष्येत पण्डितः।।**

**अर्थ** : जो बुद्धिमान राजा राज्य का हित चाहे, उसे सदा युद्ध को टालने का ही प्रयन्त करना चाहिये। नरेश्वर! बृहस्पति जी ने साम, दान और भेद-इन तीन उपायें से ही राजा के लिये धन की आय बतायी है। इन उपायों से जो धन प्राप्त किया जा सके, उसी से विद्वान राजा को संतुष्ट होना चाहिये।

**आददीत बलिं चापि प्रजाभ्यः कुरुनन्दन।**
**स षड्भागमपि प्राज्ञस्तासामेवाभिगुप्तये।।**

**अर्थ** : कुरुनन्दन! बुद्धिमान् नरेश प्रजाजनों से उन्हीं की रक्षा के लिये उनकी आय का छठा भाग करके रूप में ग्रहण करे।

**दशधर्मगतेभ्यो यद् वसु बह्वल्पमेवमेव च।**
**तदाददीत सहसा पौराणां रक्षणाय वै।।**

**अर्थ** : मत्त, उन्मत्त आदि जो दस प्रकार के दण्डनीय मनुष्य हैं, उनसे थोड़ा या बहुत जो धन दण्ड के रूप में प्राप्त हो, उसे पुरवासियों की रक्षा के लिये ही सहसा ग्रहण कर ले।

**यथा पुत्रस्तथा पौत्रा द्रष्टव्यास्ते न संशयः।**
**भक्तिश्चैषां न कर्तव्या व्यवहारे प्रदर्शिते।।**

**अर्थ** : निःसंदेह राजा को चाहिये कि वह अपनी प्रजा को पुत्रों और पौत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखे; परंतु जब न्याय करने का अवसर प्राप्त हो, तब उसे स्नेहवश पक्षपात नहीं करना चाहिये।

**श्रोंतु चैव न्यसेद् राजा प्राज्ञान् सर्वार्थदार्शिनः।**
**व्यवहारेषु सततं तत्र राज्यं प्रतिष्ठितम्।।**

**अर्थ** : राजा न्याय करते समय सदा वादी-प्रतिवादी की बातों को सुनने के लिये अपने पास सर्वार्थदर्शी विद्वान पुरुषों को बिठाये रखे; क्योंकि विशुद्ध न्याय पर ही राज्य प्रतिष्ठित होता है।

**आकरे लवणे शुल्के तरे नागबले तथा।**
**न्यसेदमात्यान्नृपतिः स्वाप्तान् वा पुरुषान्हितान्।।**

**अर्थ** : सोने आदि की खान, नमक, अनाज आदि की मंडी, नाव के घाट तथा हाथियों के यूथ-इन सब स्थानों होने वाली आये के निरीक्षण के लिये मंत्रियों का अथवा अपना हित चाहने वाले विश्वसनीय पुरुषों को राजा नियुक्त करें।

**अस्मिन्नर्थे च श्लोकौ द्वौ गीतावङिग्रसा स्वयम्।**
**यादवीपुत्र भद्रं ते तावपि श्रोतुमर्हसि।।**

**अर्थ** : पृथापुत्र युधिष्ठिर! तुम्हारा कल्याण हो! इस विषय में साक्षात्बृहस्पति जी ने जो दो श्लोक कहे हैं, उन्हें भी तुम सुनो।

**कृत्वा सर्वाणि कर्याणि सम्यक् सम्पाल्य मेदिनीम्।**
**पालयित्वा तथा पौरान्परत्र सुखमेधते।।**

**अर्थ** : सारे कर्तव्यों को पूरा करके पृथ्वी का अच्छी तरह पालन तथा नगर एवं राष्ट्र प्रजा का संरक्षण करने से राजा पर लोक में सुख पाता है।

**किं तस्य तपसा राज्ञः किं च तस्याध्वरैरपि।**
**सुपालितप्रजो यः स्तात्सर्वधर्मविदेव सः।।**

**अर्थ** : जिस राजा ने अपनी प्रजा का अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या से क्या लेना है? उस यज्ञों का भी अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है? वह तो स्वयं ही सम्पूर्ण धर्मों का ज्ञाता है।

**संदधीत न चानार्यैर्विगृहीयान्न बन्धुभिः।**
**नाभक्तं चारयेच्चारं कुर्यात्कार्यमपीडया।।**

**अर्थ** : दुष्टों के साथ मेल न करे। बन्धुओं के साथ लड़ाई झगड़ा न ठाने। जो राज भक्त न हो, ऐसे गुप्तचर से काम न ले। किसी को कष्ट पहुंचाये बिना ही अपना कार्य करे।

**अर्थे ब्रूयान्न चासत्सु गुणान्ब्रूयान्न चात्मनः।**
**आदद्यान्न च साधुभ्यो नासत्पुरुषमाश्रयेत्।।**

**अर्थ** : दुष्टों से अपना अभीष्ट कार्य न कहे। अपने गुणों का स्वयं ही वर्णन न करे। श्रेष्ठ पुरुषों से उनका धन न छीने। नीच पुरुषों का आश्रय न ले।

**नापरीक्ष्य नयेद् दण्डं न च मन्त्रं प्रकाशयेत्।**
**विसृजेन्न च लुब्धेभ्यो विश्वसेन्नापकारिषु।।**

**अर्थ** : अपराध की अच्छी तरह जांच-पड़ताल किये बिना ही किसी को दण्ड न दे। गुप्त मन्त्रणा को प्रकट न करे। लोभियों को धन न दे। जिन्होंने कभी अपकार किया हो, उन पर विश्वास न करे।

**अस्तब्धः पूजयेन्मान्यान् गुरून् सेवेदमायया।**
**अर्चेद् देवानदम्भेन श्रियमिच्छेदकुत्सिताम्।।**

**अर्थ** : उद्दण्डता छोड़कर विनीत भाव से माननीय पुरुषों का आदर-सत्कार करे। निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करे। दम्भहीन होकर देवताओं की पूजा करे। अनिन्दित उपाय से धन-सम्पत्त्ति पाने की इच्छा करे।

**सेवेत प्रणयं हित्वा दक्षः स्यान्न त्वकालवित्।**
**सान्त्वयेन्न च मोक्षाय अनुगृहन्न चाक्षिपेत्।।**

**अर्थ** : हठ छोड़कर प्रीति का पालन करे। कार्य-कुशल हो, किंतु अवसर के ज्ञान से शून्य न हो। केवल पिण्ड छुड़ाने के लिये किसी को सान्त्वना या भरोसा न दे। किसी पर कृपा करते समय आक्षेप ने करे।

**बलिषष्ठेन शुल्केन दण्डेनाथापराधिनाम्।**
**शास्त्रानीतेन लिप्सेथा वेतनेन धनागमम्।।**

**अर्थ** : प्रजा की आय का छठा भाग कर(टैक्स) के रूप में ग्रहण करके, उचित शुल्क या टैक्स लेकर, अपराधियों को आर्थिक दण्ड देकर तथा शास्त्र अनुसार व्यापारियों रक्षा आदि करने के कारण उनके दिये हुए वेतन लेकर इन्हीं उपायों तथा मार्गों से राजा को धन संग्रह की इच्छा रखनी चाहिये।

**अर्थमूलोअपि हिंसां च कुरूते स्वयमात्मनः।**
**करैरशास्त्रदृष्टैर्हि मोहात्सम्पीडयन्प्रजाः।।**

**अर्थ** : जो धन का लोभी राजा मोहवशा प्रजा से शास्त्र विरुद्ध अधिक कर लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, वह अपने ही हाथों अपना विनाश करता है।

**ऊधश्छिन्द्यात्तु यो धेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत् पयः**
**एवं राष्ट्रमयोगेन पीडिंत न विवर्धते।।**

**अर्थ** : जैसे दूध चाहने वाला मनुष्य यदि गाय का थन काट ले तो इससे वह दूध नहीं पा सकता, उसी प्रकार राज्य में रहने वाली प्रजा का अनुचित उपाय से शोषण किया जाय तो उससे राष्ट्र उन्नति नहीं होती।

**यो हि दोग्ध्रीमुपास्ते च स नित्यं विन्दते पयः।**
**एवं राष्ट्रमुपायेन भुञ्जानो लभते फलम्।।**

**अर्थ** : जो दूध देने वाली गाय की प्रतिदिन सेवा करता है, वही दूध पाता है, इसी प्रकार उचित उपाय से राष्ट्र की रक्षा करने वाला राजा (शासक) ही उससे लाभ उठाता है।

**इदं वचः शान्तनवस्य शुश्रुवान्**
**युधिष्ठिरः पाण्डवमुख्यसंवृतः।**
**तदा ववन्दे च पितामहं नृपो**
**यथोक्तमेच्च चकार बुद्धिमान्।।**

**अर्थ** : जनमेजय! पितामह शान्तनु नन्दन भीष्म का यह उपदेश सुनकर पाण्डवों से और प्रधान राजाओं से घिरे हुए बुद्धिमान् राजा युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने जैसा बताया था, वैसा ही किया। ■

# अटल मनोवैज्ञानिक इकाई है राष्ट्र

**हान क्रांतिकारी महर्षि अरविन्द का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। वे स्वतंत्रता सेनानी, योगी एवं दार्शनिक थे। उन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया और वेद, उपनिषद आदि ग्रन्थों पर टीकाएं लिखीं। श्री अरविन्द को राष्ट्रधर्म की स्पष्ट कल्पना थी। वे राजनीति में कार्य करते हुए भी उसमें डूबे नहीं। उनके लिए राजनीति राष्ट्र-निर्माण का एक अंगमात्र है। राष्ट्र-धर्म के अन्तर्गत राजनीति भी वैसी ही उपयोगी है, जैसे विज्ञान या साहित्य या दर्शन। उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाये जाते हैं। 5 दिसंबर 1950 को उनका देहावसान हुआ। सदन संदेश के स्थायी कॉलम 'आधुनिक दृष्टिकोण' में हम इस बार महर्षि अरविंद की ओर से राष्ट्रधर्म और राजनीति पर दिए गए विचारों को शामिल कर रहे हैं :-**

**राष्ट्र अमर है :** राष्ट्र एक ऐसी अटल मनोवैज्ञानिक इकाई है, जिसे प्रकृति संसार भर में अत्यन्त विविध रूपों में विकसित करने तथा भौतिक व राजनीतिक एकता के लिए शिक्षित करने में संलग्न रही है। वर्तमान समय में कोई राष्ट्र वस्तुतः तब तक नहीं मिट सकता जब तक वह अन्दर से निष्प्राण ही न हो जाए। राष्ट्र को बलपूर्वक विनष्ट या खंडित करने के सारे आधुनिक प्रयत्न मूर्खतापूर्ण तथा निष्फल हैं क्योंकि ये प्राकृतिक विकास के नियम की अवहेलना करते हैं। साम्राज्य अब भी नाशवान राजनीतिक इकाइयां हैं, परंतु राष्ट्र अमर है और वह ऐसा ही रहेगा जब तक उससे अधिक महान एक ऐसी सजीव इकाई नहीं मिल जाती जिसमें राष्ट्र–भावना एक उच्च आकर्षण के अधीन स्वयं को विलीन कर दे।'

**राष्ट्र का उद्देश्य :** राष्ट्र महत्वपूर्ण तो है किन्तु स्वयं में लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो है आत्मविकास। इस बात को न समझ पाने के कारण ही विश्व में राष्ट्रवाद एक खतरा बन गया है और राष्ट्र को मानव-एकता के बाधक के रूप में देखा-समझा जाता है। वस्तुतः राष्ट्र के निर्माण की तीन अवस्थाएं होती हैं।

पहली अवस्था है 'शिथिलतर किन्तु विवश कर देने वाली समाज-व्यवस्था और सभ्यता का सर्वसामान्य प्रकार' जो राष्ट्र के लिए ढांचे का काम दे सके। दूसरी अवस्था है, 'एकता व केन्द्रीय नियंत्रण' लाने वाले कठोर संगठन की जो एकरूपता लाए। तीसरी अवस्था है निर्माण व एकता का अभ्यास हो जाने के पश्चात 'स्वतंत्र अन्तः विकास' की। तीसरी अवस्था आना आवश्यक है नहीं तो राष्ट्र जड़ व रूढ़ हो जाएगा। उसकी सजीवता व शक्ति समाप्त हो जाएगी। तीसरी अवस्था आने से राष्ट्र व व्यक्ति का हित-संघर्ष भी नहीं होगा।

**राष्ट्र पूर्ण मानव-विकास के लिए :** यह महत्वपूर्ण बात भी ध्यान में रखने की अवश्यकता है कि 'केवल अपने अस्तित्व के लिए न तो राष्ट्र-इकाई निर्मित ही होती है और न ही वह बनी रहती है। उसका आशय होता है मानव-समुदाय के एक ऐसे बृहत्तर सांचे का निर्माण करना जिसमें समग्र जाति-केवल वर्ग और व्यक्ति नहीं-अपने पूर्ण मानव-विकास की ओर बढ़ सकें। यही राष्ट्र का उद्देश्य है।

**राष्ट्रवाद युग-धर्म है :** परिवार के लिए स्वार्थों का त्याग करना मानवता का विकास ही है। आज इस विकास को प्राप्त अधिकांश मानव मिलते हैं। इसके आगे वर्ग के स्वार्थ के लिए अपने व परिवार के स्वार्थों का बलिदान करने की बात और भी उत्कृष्ट है तथा इससे मनुष्य का सामाजिक जीवन सुविकसित होता है ठीक वैसे ही जैसे पारिवारिक जीवन से सभ्यता का प्रारम्भ होता है। मानवों की एक बड़ी संख्या वर्ग-स्वार्थ के लिए बलिदान के सिद्धान्त को भी व्यवहार में ला चुकी है। वर्ग से बढ़कर मानव राष्ट्र तक पहुंचता है। 'राष्ट्र का विकास एक ऐसी प्रगति है जो आधुनिक अवस्था में मानवता के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के स्वार्थ को, परिवार के स्वार्थ तथा वर्ग के स्वार्थ को, जिनकी गहरी जड़ें आज तक भी अतीत में जमी हुई हैं, अब विशालतर राष्ट्रीय आत्मा में स्वयं को विलुप्त करना सीखना होगा, जिससे मानव जाति में भगवान का कम विकास हो सके। अतः राष्ट्रवाद इस युग का धर्म है। भगवान हमारी सार्वजनीन भारत माता के रूप में स्वयं को हमारे समक्ष अभिव्यक्त कर रहे हैं।' निस्सन्देह राष्ट्रीय हित के लिए अपने, परिवार के तथा वर्ग के स्वार्थों का बलिदान ही 'राष्ट्रीय अहं' में आत्मा की पूर्णता-प्राप्ति का अनिर्वाय लक्षण है। अवश्य ही, इससे भी आगे का सोपान होगा सम्पूर्ण मानवता में आत्मा का विस्तार किन्तु अभी वह स्थिति आने में देर है।

**देशभक्ति की प्रेरणा :** श्री अरविन्द के अनुसार देशभक्ति की प्रेरणा देश की धन-सम्पत्ति, भूमि की उर्वरता व सुन्दरता आदि न होकर शुद्ध रूप में देश की सत्ता ही होती है- मेरा देश, यह भाव। एक पत्र में उन्होंने प्रसंगवश लिखा- 'देशभक्त अपने देश से केवल तभी प्रेम नहीं करते जब वह समृद्ध, शक्तिशाली, महान होता है और उसके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ होता है; अपितु देश प्रेम तथा अत्यन्त प्रचण्ड, प्रगाढ़, पूर्ण निरपेक्ष रहा है जब देश निर्धन, अवनत और दीन था और अपनी सेवा के प्रतिफल के रूप में देने के लिए उसके पास हानि, क्षति, यंत्रणा, कैद और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ नहीं था।' वे आगे लिखते हैं-'परंतु यह जानते हुए भी कि वे उसे अपने जीवन में कभी स्वतंत्र नहीं देख सकेंगे, मनुष्य उसके लिए जीते रहे, उसकी सेवा करते रहे और लिए मरे हैं-केवल उसके 'निज' के लिए, जो कुछ वह दे सकता था, उसके लिए नहीं।'

**राष्ट्रप्रेम की वेदी पर तरुणों का आवाहन :** बंगाल नेशनल कालेज के प्राचार्य-पद से त्यागपत्र देने के बाद अपने प्रिय विद्यार्थियों के बीच दिए गए भाषण (22 अगस्त 1907) में भी उन्होंने राष्ट्रप्रेम की वेदी पर तरुणों का आवाहन किया था। 'प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में ऐसे समय आते हैं जब भाग्य उसके समक्ष एक ही कार्य, एक ही उद्देश्य प्रस्तुत कर देता है जिसके लिए प्रत्येक वस्तु का, चाहे वह स्वयं कितनी ही ऊंची और भली क्यों न हो, बलिदान कर देना पड़ता है। हमारी मातृभूमि के लिए अब ऐसा ही समय आ गया है जब उसकी सेवा से बढ़कर अधिक प्रियतर कुछ नहीं है, अब प्रत्येक कार्य को उसी उद्देश्य से करना होगा। यदि तुम अध्ययन करो तो उसकी सेवा के लिए अध्ययन करो। अपने शरीर, मन और आत्मा को प्रशिक्षित करो तो भी उसकी सेवा के लिए ही प्रशिक्षित करो। जीविका कमाओ तो उसी के हेतु जीवन बीताने के लिए। सुदूर विदेशों में जाओ तो इसलिए कि वहां ज्ञान-राशि लेकर आओ, जिससे मातृभूमि की सेवा कर सको। कष्ट सहन करो उसे आनन्द देने के लिए। इस एक उपदेश में ही सब कुछ समाहित है।' ■

नवंबर माह में हरियाणा के 5 विधायकों के जन्मदिन हैं। हरियाणा विधान सभा के अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने इन सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य एवं सुयशस्वी जीवन की कामना की है।

# जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

**श्री संजय सिंह, सोहना**
जन्म तारीख : 4 नवम्बर 1974
पसंदीदा कार्यः क्रिएटिव मूवीज देखना

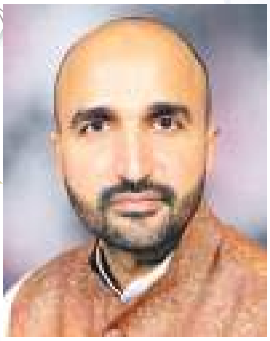

**श्री अमित सिहाग, डबवाली**
जन्मः 4 नवम्बर, 1981
रुचिः अध्ययन, खेल, व्यायाम

**श्री घनश्याम सर्राफ, भिवानी**
जन्मः 5 नवम्बर, 1963
रुचि : क्रिकेट

**डॉ. कमल गुप्ता, हिसार**
जन्मः 6 नवम्बर 1952
रुचि : खेलना

**श्री बलराज कुंडू, महम**
जन्मः 21 नवम्बर,1970
रुचि : हरियाणवी, हिन्दी के पुराने गीत

# सदन संदेश के उद्देश्य

1. संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाना।
2. विधानसभा की गतिविधियों और विधायी कार्यों पर तथ्यपरक सामग्री उपलब्ध करवाना।
3. विधानसभा के सदस्यों और अन्य विशेषज्ञों को उनके मतों एवं दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति हेतु उपयोगी मंच प्रदान करना।
4. सदन के नियमों और परम्पराओं पर आधारित लेख प्रकाशित करना, जिससे माननीय सदस्यों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हो।
5. माननीय सदस्यों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को लेखन के लिए प्रेरित करना।
6. समाज में राजनीति के प्रति सकारात्मक अवधारणा विकसित करने में सहायक विषयों का प्रतिपादन।
7. सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक महत्व के विषयों पर विमर्श करना तथा हरियाणा केंद्रित विषयों पर मूल लेखन।